



**भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
ईटानगर**

निविदा सं. 2026_RBI_290766_1

ई-निविदा

ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में बैंक के कार्यालय परिसर में सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध

भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के संदर्भ में निगमित) पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाली पात्र फर्मों/ठेकेदारों से ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में बैंक के कार्यालय परिसर में सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए दो भागों (भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली) में ई-निविदा आमंत्रित करता है।

बोलीदाता का नाम:

पता:

मोबाइल नंबर और ईमेल:

ई-टेंडर नंबर	निविदा आईडी: 2026_RBI_290766_1
डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध ई-निविदा की तिथि और समय	सितंबर 16, 2026; 11:00 बजे से
प्री-बिड मीटिंग की तिथि और समय	अक्टूबर 14, 2026; 11:00 बजे (ऑफलाइन) स्थान: ग्राउंड फ्लोर, भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर
बोलियां जमा करने के लिए निविदा की उपलब्धता (भाग I और भाग II)	अक्टूबर 07, 2026; को 14:00 बजे से
ई-टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि	अक्टूबर 27, 2026; 14:00 बजे
ई-टेंडर खोलने की तिथि और समय (भाग I)	अक्टूबर 28, 2026; 15:00 बजे से
भाग II के खुलने की तिथि और समय	बाद में सूचित किया जाएगा

स्थान: ईटानगर
दिनांक: सितंबर 16, 2026

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
ईटानगर

अस्वीकरण

बैंक ने इच्छुक पार्टियों को काम की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। जबकि बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और मानता है कि यह क्रम में है, न तो बैंक और न ही इसका कोई अधिकारी या उनके कोई संबंधित अधिकारी, कर्मचारी इस दस्तावेज में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई भी अभ्यावेदन देते हैं, व्यक्त या निहित करते हैं जो इसके साथ प्रदान की जा सकती है।

जानकारी संपूर्ण होने का इरादा नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी पूछताछ स्वयं करने की आवश्यकता होती है। उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा जमा करते समय केवल बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर गैर-बाध्यकारी है।

बैंक इस निविदा के साथ आगे न बढ़ने या निविदा के विन्यास को न बदलने, इस दस्तावेज में परिलक्षित समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, भविष्य में जारी किया गया है, केवल आरबीआई की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

यह निविदा दस्तावेज न तो एक प्रस्ताव पत्र है और न ही एक कानूनी अनुबंध है, बल्कि प्रस्ताव के लिए एक निमंत्रण है। इस निविदा-प्रक्रिया से बैंक की ओर से कोई भी संविदात्मक दायित्व तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि बैंक के विधिवत अधिकृत अधिकारियों और निविदाकर्ता द्वारा औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर और निष्पादित नहीं किए जाते हैं। निविदाकर्ता, निविदा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के बावजूद, निविदा दस्तावेजों के विवरण को हमेशा गुप्त और गोपनीय मानेगा। इसके अलावा, बैंक इस निविदा के जवाब की तैयारी में निविदाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

सूचकांक

अनुभाग/अनुलग्नक	विवरण	प्रष्ठ संख्या
भाग I		
खंड I	ई-टेंडर के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	11
खंड II	ई-टेंडर में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड	15
खंड III	बोली मूल्यांकन मानदंड	23
खंड IV	निविदाकर्ताओं और विशेष शर्तों के लिए सामान्य निर्देश	27
खंड V	काय का दायरा और मात्रा की अनुसूची	40
खंड VI	अनुबंध के नियम और शर्तें	43
भाग II		
खंड I	तकनीकी बोली	55
खंड II	मूल्य बोली	56
अनुलग्नक I	प्रस्ताव पत्र	59
अनुलग्नक II	व्याख्या खंड	62
अनुलग्नक III	समझौते के लेख	64
अनुलग्नक IV	पिछले 5 वर्षों के दौरान इसी तरह के अर्हक कार्यों का विवरण	70
अनुलग्नक V	बुनियादी जानकारी	71
अनुलग्नक VI	बयाना राशि जमा/बोली सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	73
अनुलग्नक VII	निविदाकारों/फर्म के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र	76
अनुलग्नक VIII	बैंकों का विवरण	78
अनुलग्नक IX	बैंकर्स सर्टिफिकेट का फॉर्म (सॉल्वेंसी)	79
अनुलग्नक X	बायो-डेटा फॉर्म	80
अनुलग्नक XI	भाग I के साथ एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट	82

निविदा अनुसूची (एसओटी)

1. ई-टेंडर नंबर	2026_RBI_290766_1
2. कार्य का नाम:	ईटानगर में बैंक के कार्यालय परिसर में सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध
3. निविदा का तरीका:	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ऑनलाइन (भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - वित्तीय बोली) वेबसाइट https://etenders.gov.in/eprocure/app
4. दिनांक और समय जिससे एनआईटी (पूर्ण निविदा दस्तावेजों के साथ) पार्टियों को वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा https://etenders.gov.in/eprocure/app	सितंबर 16, 2026 को 11:00 बजे से।
5. प्री-बिड मीटिंग की तिथि और स्थान (ऑफ़लाइन)	अक्टूबर 14, 2026 को 11:00 बजे। स्थान:- भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर
6. काम की अनुमानित लागत:	₹ 45,30,000/- (रुपए पैंतालीस लाख तीस हजार मात्र) (करों सहित)
7. बयाना धन जमा (ईएमडी)	भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली निविदा के खंड 2 के पैरा 6 के अनुसार केवल एनईएफटी के रूप में ₹ 90,600 रुपए (रुपए नब्बे हजार छे सौ मात्र) की घोषणा की गई है। एनईएफटी लेनदेन के लिए खाता विवरण इस प्रकार है: लाभार्थी का नाम: आरबीआई, गुवाहाटी लाभार्थी खाता संख्या: 8692299 आईएफएससी: RBIS0GWPA01 (आईएफएससी में पांचवें और दसवें अक्षर शून्य हैं) कृपया एनईएफटी लेनदेन टिप्पणियों में अपना नाम/कंपनी का नाम बताएं। अभीष्ट बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे ईएमडी के विप्रेषण का प्रमाण (स्कैन की गई प्रति) लेन-देन संख्या के साथ निम्नलिखित ई-मेल आईडी पर अपलोड/भेजें - hrrmditanagar@rbi.org.in

8. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	अक्टूबर 27, 2026 को 14:00 बजे से पहले
9. बैंक गारंटी (अनुबंध राशि का 5%)	₹ 2,26,500 /- (रुपये दो लाख पच्चीस हजार पांच सौ मात्र)
10. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली की बोली शुरू होने की तारीख https://etenders.gov.in/eprocure/app	अक्टूबर 07, 2026 को 11:00 बजे से
11. आरबीआई, ईटानगर में बोली-पूर्व बैठक की तिथि और समय	अक्टूबर 14, 2026 को 11:00 बजे से
12. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा की अंतिम तिथि	अक्टूबर 27, 2026 को 14:00 बजे तक
13. भाग- I के खुलने की तिथि और समय (यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)	अक्टूबर 28, 2026 को 15:00 बजे से
14. भाग- II के खुलने की तिथि और समय (यानी वित्तीय बोली)	पात्र बोलीदाताओं को इसकी सूचना दी जाएगी।
15. लेनदेन शुल्क	सीपीपी पोर्टल द्वारा सलाह के अनुसार राशि
16. पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए निविदा शुल्क	शून्य



**भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
ईटानगर**

**निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)
(केवल ई-खरीद के माध्यम से)**

भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) बैंक के कार्यालय परिसर में वार्षिक सेवा अनुबंध के तहत सुरक्षा गार्डों की सेवाएं प्रदान करने के लिए पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाली पात्र फर्मों/निविदाकर्ताओं से दो भागों (भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली) में निविदा आमंत्रित करता है। अनुबंध शुरू में 31 मार्च, 2028 तक वैध होगा, और संतोषजनक प्रदर्शन, या अन्य अवधि/मापदंडों के अधीन अधिकतम दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में एक वर्ष, जैसा कि बैंक निर्णय ले सकता है। ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि अक्टूबर 27, 2026 को 14:00 बजे तक है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट <https://www.rbi.org.in> पर "निविदा" अनुभाग पर जाएं और निविदा अपलोड करने के लिए कृपया <https://etenders.gov.in/eprocure/app> पर सीपीपी पोर्टल पर जाएं और पंजीकरण करें।

नोट: कृपया यह भी ध्यान दें कि आगे का परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

**स्थान: ईटानगर
दिनांक : सितंबर 16, 2026**

**महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर**

भाग I (खंड I)

ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले इस आवेदन के नियमों और शर्तों को पढ़ लें।

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों का उपयोग करके सीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियों की सॉफ्ट कॉपी जमा करनी होगी। नीचे दिए गए निर्देश बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियां तैयार करने और सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करने में सहायता करने के लिए हैं।

सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी यहां प्राप्त की जा सकती है: <https://etenders.gov.in/eprocure/app>

ई-टेंडर की प्रक्रिया:

अ. पंजीकरण:

- 1) बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर "ऑनलाइन बोलीदाता नामांकन" लिंक पर क्लिक करके केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (यूआरएल: <https://etenders.gov.in/eprocure/app>) के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर नामांकन करना आवश्यक है, जो निः शुल्क है।
- 2) नामांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, बोलीदाताओं को एक अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम चुनना होगा और अपने खातों के लिए एक पासवर्ड निर्दिष्ट करना होगा।
- 3) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपना वैध ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। इनका उपयोग सीपीपी पोर्टल से किसी भी संचार के लिए किया जाएगा।
- 4) नामांकन के बाद, बोलीदाताओं को सीसीए इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण (जैसे सिफी / एनकोड / ईमुद्रा आदि) द्वारा जारी किए गए अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (कुंजी उपयोग पर हस्ताक्षर करने के साथ कक्षा III प्रमाण पत्र) को अपनी प्रोफाइल के साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी।
- 5) बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि वे अपने डीएससी को दूसरों को उधार न दें जिससे दुरुपयोग हो सकता है।
- 6) बोलीदाता तब अपनी यूजर आईडी/पासवर्ड और डीएससी/ई-टोकन का पासवर्ड दर्ज करके सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से साइट पर लॉग इन करता है।

निविदा दस्तावेजों की खोज:

- i. सीपीपी पोर्टल में विभिन्न खोज विकल्प बनाए गए हैं, ताकि बोलीदाताओं को कई मापदंडों द्वारा सक्रिय निविदाओं को खोजने की सुविधा मिल सके। इन मापदंडों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तिथि, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। निविदाओं के लिए उन्नत खोज का एक विकल्प भी है, जिसमें बोलीदाता सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा को खोजने के लिए कई खोज मापदंडों जैसे संगठन का

नाम, अनुबंध का रूप, स्थान, तिथि, अन्य कीवर्ड आदि को जोड़ सकते हैं।

- ii. एक बार जब बोलीदाताओं ने उन निविदाओं का चयन कर लिया है जिनमें वे रुचि रखते हैं, तो वे आवश्यक दस्तावेज/निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित 'माई टेंडर' फोल्डर में ले जाया जा सकता है। यह सीपीपी पोर्टल को निविदा दस्तावेज में कोई शुद्धिपत्र जारी किए जाने की स्थिति में एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से बोलीदाताओं को सूचित करने में सक्षम करेगा।
- iii. बोलीदाता को प्रत्येक निविदा को सौंपी गई विशिष्ट निविदा आईडी को नोट करना चाहिए; यदि वे हेल्पडेस्क से कोई स्पष्टीकरण/सहायता प्राप्त करना चाहते हैं।

बोलियां तैयार करना:

- i. बोलीदाता को अपनी बोलियां जमा करने से पहले निविदा दस्तावेज पर प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए।
- ii. बोली के हिस्से के रूप में जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को समझने के लिए कृपया निविदा विज्ञापन और निविदा दस्तावेज को ध्यान से देखें। कृपया उन कवर की संख्या पर ध्यान दें जिनमें बोली दस्तावेज जमा किए जाने हैं, दस्तावेजों की संख्या - जिसमें प्रत्येक दस्तावेज के नाम और सामग्री शामिल हैं जिन्हें जमा करने की आवश्यकता है। इनमें से किसी भी विचलन से बोली की अस्वीकृति हो सकती है।
- iii. बोलीदाता को अग्रिम रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेजों को निविदा दस्तावेज/अनुसूची में दर्शाए अनुसार तैयार कर लेना चाहिए और आम तौर पर, वे पीडीएफ/एक्सएलएस/आरएआर/डीडब्ल्यूएफ/जेपीजी प्रारूपों में हो सकते हैं। बोली दस्तावेजों को काले और सफेद विकल्प के साथ 100 डीपीआई के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज के आकार को कम करने में मदद करता है।
- iv. मानक दस्तावेजों के एक ही सेट को अपलोड करने में आवश्यक समय और प्रयास से बचने के लिए, जिन्हें प्रत्येक बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ऐसे मानक दस्तावेजों (जैसे पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान बोलीदाताओं को प्रदान किया गया है। बोलीदाता ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए उनके लिए उपलब्ध "माई स्पेस" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज" क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। बोली जमा करते समय इन दस्तावेजों को सीधे "माई स्पेस" क्षेत्र से जमा किया जा सकता है, और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बोली जमा करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय में कमी आएगी।

नोट: माई डॉक्यूमेंट्स स्पेस केवल एक रिपॉजिटरी है जो अपलोडिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बोलीदाताओं को दिया जाता है। यदि बोलीदाता ने अपने दस्तावेज मेरे दस्तावेज स्थान में अपलोड किए हैं,

तो यह स्वचालित रूप से सुनिश्चित नहीं करता है कि ये दस्तावेज़ तकनीकी बोली का हिस्सा हैं।

बोलियां जमा करना

- i. बोलीदाता को बोली जमा करने के लिए साइट पर पहले से ही लॉग इन करना चाहिए ताकि वे बोली जमा करने के समय पर या उससे पहले बोली अपलोड कर सकें। बोलीदाता अन्य मुद्दों के कारण किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार होगा।
- ii. बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में दर्शाए गए अनुसार आवश्यक बोली दस्तावेज़ों पर एक-एक करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षर और अपलोड करना होगा।
- iii. बोलीदाता को लागू निविदा शुल्क/ईएमडी का भुगतान करने के लिए "ऑफ़लाइन" के रूप में भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और लिखत का विवरण दर्ज करना होगा।
- iv. बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार ईएमडी तैयार करना चाहिए। बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक या निविदा दस्तावेज़ों में निर्दिष्ट अनुसार मूल पत्र व्यक्तिगत रूप से संबंधित अधिकारी को पोस्ट/कूरियर/दिया जाना चाहिए। डीडी/किसी अन्य स्वीकृत लिखत का विवरण, भौतिक रूप से भेजा गया, स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण और बोली जमा करने के समय के दौरान दर्ज किए गए डेटा के साथ मेल खाना चाहिए। अन्यथा अपलोड की गई बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
- v. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि उन्हें आवश्यक रूप से प्रदान किए गए प्रारूप में अपनी वित्तीय बोलियां जमा करनी चाहिए और कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं है। यदि मूल्य बोली निविदा दस्तावेज़ के साथ एक मानक बीओक्यू प्रारूप के रूप में दी गई है, तो इसे डाउनलोड किया जाना है और सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना है। बोलीदाताओं को बीओक्यू फ़ाइल डाउनलोड करने, इसे खोलने और सफ़ेद रंग के (असुरक्षित) सेल को अपने संबंधित वित्तीय उद्धरणों और अन्य विवरणों (जैसे बोलीदाता का नाम) के साथ पूरा करना आवश्यक है। कोई अन्य सेल नहीं बदला जाना चाहिए। एक बार विवरण पूरा हो जाने के बाद, बोलीदाता को इसे सहेजना चाहिए और फ़ाइल नाम बदले बिना इसे ऑनलाइन जमा करना चाहिए। यदि बोलीदाता द्वारा BoQ फ़ाइल को संशोधित किया जाता है, तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
- vi. सर्वर समय (जो बोलीदाताओं के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है) को बोलीदाताओं द्वारा बोलियां जमा करने, बोलियां खोलने आदि की समय सीमा को संदर्भित करने के लिए मानक समय के रूप में माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली जमा करने के दौरान इस समय का पालन करना चाहिए।
- vii. बोलीदाताओं द्वारा जमा किए जा रहे सभी दस्तावेज़ों को डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पीकेआई एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किए गए डेटा को बोली खोलने के समय तक अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। सुरक्षित सॉकेट लेयर 128-बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके बोलियों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा भंडारण एन्क्रिप्शन किया जाता है। सर्वर पर अपलोड किए गए किसी भी बोली दस्तावेज़ को सिस्टम जनित सममित कुंजी का उपयोग करके सममित एन्क्रिप्शन के अधीन किया जाता है। इसके अलावा, इस कुंजी को खरीदारों/बोली खोलने वाले की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके असममित एन्क्रिप्शन के अधीन किया जाता है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पठनीय हो जाते हैं।

- viii. अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़े जा सकते हैं।
- ix. बोलियों के सफल और समय पर जमा होने पर (यानी पोर्टल में "फ्रीज बिड सबमिशन" पर क्लिक करने के बाद), पोर्टल एक सफल बोली प्रस्तुत करने का संदेश देगा और बोली संख्या के साथ एक बोली सारांश प्रदर्शित किया जाएगा। और अन्य सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ बोली जमा करने की तारीख और समय।
- x. बोली सारांश को मुद्रित किया जाना चाहिए और बोली जमा करने की पावती के रूप में रखा जाना चाहिए। इस पावती का उपयोग किसी भी बोली खोलने वाली बैठकों के लिए प्रवेश पास के रूप में किया जा सकता है।

बोलीदाताओं को सहायता

निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क व्यक्ति को संबोधित किया जाना चाहिए।

2) ऑनलाइन बोली जमा करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्नों को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क पर निर्देशित किया जा सकता है।

किसी भी तकनीकी संबंधी प्रश्न के लिए कृपया 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें

0120- 4001 002

0120-4001 005

0120-4493 395

प्रकाशित निविदाओं से संबंधित किसी भी मुद्दे या स्पष्टीकरण के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित निविदा आमंत्रित प्राधिकारी से संपर्क करें

तकनीकी - support-eproc@nic.in

पॉलिसी से संबंधित - cppp-doe@nic.in

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई, ईटानगर/गुवाहाटी):

एस/नहीं	व्यक्ति का नाम	उपाधि	फोन संख्या
1	विवेक पाटीदार	सहायक महाप्रबंधक	+91 7017538456
2	अमित यादव	मैनेजर	+91 7303061729

उपलब्धता: सभी तकनीकी मुद्दों ई-निविदाओं, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

भाग I (खंड II)

ई-टेंडर में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड

1. भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर ने सभी करों सहित लगभग ₹ 45.30 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर बैंक के कार्यालय **परिसर में सुरक्षा गार्ड प्रदान करने** के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए दो भागों में ई-निविदा आमंत्रित की है।
2. केवल कंपनी / फर्म / एजेंसी जो निम्नलिखित पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, आवेदन करने के लिए पात्र हैं:
 - i. निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम, 2005 (पीएसएआरए) के तहत जारी वैध लाइसेंस होना और कम से कम पांच वर्षों के लिए सुरक्षा गार्डों की सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में अनुभव होना (कार्य अनुभव के समर्थन में प्रस्तुत कार्य आदेश जनवरी 2021 से पहले जारी किए जाने चाहिए) और पिछले पांच वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्य निष्पादित किए हैं (निष्पादित कार्य के समर्थन में प्रस्तुत कार्य आदेश और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जनवरी 2021 को या उसके बाद जारी किए जाने चाहिए) निम्नानुसार है: -
 - तीन कार्य पूर्ण किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है (लेटर हेड पर कार्य आदेश / प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की जानी हैं)

या,
 - दो कार्य पूर्ण किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं होगी (लेटरहेड पर कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की प्रतियां जमा की जानी हैं)

या,
 - एक कार्य पूर्ण कार्य प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं है (लेटर हेड पर कार्य आदेश / प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की जानी हैं)
 - ii. पिछले 3 वर्षों (आयकर वर्ष) यानी 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए वार्षिक कारोबार (चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित ऑडिटेड बैलेंस शीट या आईटीआर की प्रतियों के साथ सीए से टर्न ओवर प्रमाण पत्र जमा किया जाएगा) ₹ 45.30 लाख से कम नहीं होना चाहिए।
 - iii. ₹45.30 लाख की अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए अनुबंध को पूरा करने के लिए विलायक/वित्तीय रूप से मजबूत होना चाहिए।
 - iv. गार्डों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपना स्वयं का प्रतिष्ठान/स्थापना/तंत्र होना चाहिए।

- v. अधिमानतः ईटानगर में एक स्व-स्वामित्व वाली पूर्ण सेवा स्थापित होनी चाहिए।
 - vi. ईटानगर में इस व्यवसाय को करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी/वैधानिक अनुमोदन होना चाहिए।
3. अभीष्ट निविदाकर्ताओं को निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी पात्रता के बारे में बैंक को संतुष्ट करने के लिए निम्नलिखित जानकारी लिखित रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए और प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए।

क्रम संख्या	जानकारी	जमा किए जाने वाले दस्तावेज
(क)	फर्म की संरचना	विवरण में निविदाकर्ताओं की फर्म की संरचना के अनुलग्नक-V (चाहे निविदाकर्ता एक व्यक्ति हो, या एक साझेदारी फर्म, या एक कंपनी आदि) के तहत निर्धारित प्रारूप में पूर्ण विवरण भागीदारों के नाम (ओं) और पते (ओं) के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी कंपनी के मामले में, पंजीकरण प्रमाण पत्र, कंपनी के मेमोरेण्डम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और सभी निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों के विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी, यदि कोई हो और फर्म का गठन करने वाले सभी भागीदारों का विवरण; और किसी एजेंसी या स्वामित्व के मामले में, उसमें शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों के विवरण के साथ-साथ नाम और पता (ओं) आदि को प्रस्तुत करना आवश्यक है। संबंधित राज्य के लिए वैध पीएसएआरए लाइसेंस की प्रति, संबंधित प्राधिकरण द्वारा

		जारी प्रतिष्ठान का पंजीकरण प्रमाण पत्र, ईपीएफ पंजीकरण प्रमाण पत्र और ईएसआई पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियां और लागू कर पंजीकरण, जैसे पैन, टैन, जीएसटी, आदि जमा किए जाने चाहिए।
(ख)	कार्य अनुभव और निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य के समान कार्य को पूरा करना।	आवेदक को इसी तरह के कार्य करने के 05 वर्षों के न्यूनतम अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए (आवेदक को 01 सितंबर, 2021 को/उसके बाद कम से कम एक समान कार्य पूरा करना चाहिए)। पिछले 05 वर्षों के दौरान योग्यता कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य (2.A (i), 2.A (ii) या 2.A (iii) के तहत दर्शाए गए मूल्य के रूप में और इसी तरह की प्रकृति के)। अर्हक कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेशों की प्रतियां जो पुरस्कार की तारीख, प्रदान किए गए कार्य का मूल्य, कार्य को पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि दर्शाते हैं और इसी तरह के कार्यों के पूरा होने की वास्तविक तिथि और वास्तविक मूल्य को दर्शाने वाले संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र कार्य पूरा होने के अनुभव के प्रमाण में संलग्न किए जाने चाहिए। किसी भी केंद्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए कार्य करने के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण भी दिया जाना चाहिए। बैंक साइट विजिट के लिए अपने प्रतिनिधि को नामित करके बोलीदाता द्वारा किए गए कार्य

		अनुभव दावों को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
(ग)	पूर्ण कार्य का विवरण	कार्य (कार्यों), कार्यों के वर्ष, कार्य (कार्यों) के निष्पादन, सौंपे गए कार्य (कार्यों) की वास्तविक लागत और निष्पादित कार्य की वास्तविक लागत, उन अधिकारियों/प्राधिकारियों/विभागों के नाम और पूर्ण संपर्क विवरण जिनके अधीन कार्य निष्पादित किया गया था/किया गया था, अनुलग्नक-1 के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
(घ)	ग्राहक प्रमाण पत्र	निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि उन्हें प्रत्येक पूर्व-योग्यता कार्य के लिए अनुलग्नक VIII) के तहत निर्धारित प्रारूप में ग्राहक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपर्युक्त पैरा 2 (ख) के अनुसार कार्य के न्यूनतम मूल्यों को पूरा करने के पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए अर्हक कार्यों के लिए प्रस्तुत किए गए कार्य आदेशों और कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्रों को ग्राहक प्रमाणपत्रों के साथ अनिवार्य रूप से समर्थित किया जाना चाहिए। ग्राहक प्रमाण पत्र केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब यह सरकारी / अर्ध-सरकारी, संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के मामले में कार्यकारी अभियंता या समकक्ष के रैंक के अधिकारी के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो और उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए निविदाकर्ताओं द्वारा प्राप्त भुगतान के पर्याप्त प्रमाण द्वारा समर्थित हो।

		निजी संगठन द्वारा जारी ग्राहक की रिपोर्ट के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र भी शामिल होंगे। सभी कॉलम ठीक से प्रतिहस्ताक्षरित में भरे जाने चाहिए। ग्राहक प्रमाण पत्र अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर के साथ ग्राहक के लेटर हेड पर होना चाहिए। निर्दिष्ट प्रारूप में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र के बिना प्राप्त आवेदन/निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बैंक स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक अपने ग्राहकों से निविदाकर्ता के पिछले प्रदर्शन पर रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
(ड)	ग्राहकों और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पता	उनके ग्राहकों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी के साथ-साथ पूर्ण विवरण, जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नं. आदि, संपर्क अधिकारियों (यानी, जिन व्यक्तियों से बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है, यदि यह आवश्यक है) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
(च)	निविदाकर्ताओं की ऋण योग्यता और निर्दिष्ट अवधि के दौरान उनका कारोबार।	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित निविदाकर्ताओं के व्यवसाय के नवीनतम अंतिम खातों के साथ-साथ आयकर निकासी प्रमाण पत्र/आयकर निर्धारण आदेश/आयकर रिटर्न की प्रतियां पिछले तीन वर्षों के लिए उनकी साख और कारोबार के प्रमाण के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

(छ)	बैंकों और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पता	संपर्क अधिकारियों के नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर, आदि जैसे पूरे विवरण के साथ उनके बैंकों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी (यानी, वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा उनके बैंकों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है, यदि यह आवश्यक हो) अनुलग्नक-IX के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
(ज)	बैंक खातों का विवरण	उनके बैंक खातों का पूरा विवरण, जैसे खाता संख्या, प्रकार, कब खोला जाना आदि दिया जाना चाहिए।
(i)	बैंकर (सॉल्वेंसी) प्रमाण पत्र	इस कार्य के उद्देश्य के लिए विशेष रूप से आवेदक के बैंकर द्वारा जारी अनुलग्नक-X के तहत निर्धारित प्रारूप में सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, केवल ₹45,30,000.00/- की न्यूनतम राशि के लिए।
(जे)	प्रशिक्षण सुविधा और सेवा सेटअप	अरुणाचल प्रदेश में गार्ड और पूर्ण सेवा सेटअप / बैंक ऑफिस / प्रशासनिक कार्यालय के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्व-स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान / स्थापना / तंत्र के समर्थन में वैध दस्तावेज (जहां से निर्दिष्ट कार्य के लिए अनुबंध अवधि के दौरान जनशक्ति और पर्यवेक्षण के संदर्भ में आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है)।
(ट)	कानूनी/वैधानिक अनुमोदन	निविदाकारों को यह घोषणा करते हुए एक वचन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि उन्होंने सभी प्रासंगिक वैध दस्तावेजों के साथ ईटानगर में इस

		व्यवसाय को करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी / वैधानिक अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं।
(एल)	अदालत में दोषसिद्धि/किसी संगठन द्वारा काली सूची में डालना/लंबित दीवानी मुकदमे	निविदाकर्ता को यह घोषणा करते हुए एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें किसी भी आधार पर किसी भी संगठन द्वारा न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया गया है या निलंबित/काली सूची में नहीं डाला गया है। निविदाकर्ता विवरण प्रदान करेगा कि निष्पादित कार्यों में से किसी में कोई सिविल मुकदमा लंबित है या नहीं। तथ्यों को छिपाने और बाद में पता लगाने से अनुबंध को रद्द किया जा सकता है/बोली को तुरंत अस्वीकार किया जा सकता है।

- विलय, अधिग्रहण, अधिग्रहण आदि जैसे असाधारण मामलों में, इच्छुक निविदाकर्ता किसी भी छूट/विचलन की मांग के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर वह बैंक से विचार करने का अनुरोध करता है। बैंक ऐसे अनुरोधों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और ऐसी छूटों/विचलन को अनुमति देने या अस्वीकार करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
- इच्छुक निविदाकर्ताओं को निविदा के तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग-I) के साथ अपने पात्रता मानदंड का समर्थन करने वाले प्रासंगिक दस्तावेज और बयाना राशि जमा (एनईएफटी विवरण) की स्कैन की गई प्रति अपलोड करने की आवश्यकता है।
- ₹ 90,600.00/- (रुपये नब्बे हजार छे सौ मात्र)** की बयाना राशि जमा (EMD) भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी के पक्ष में अक्टूबर 27, 2026 को 1400 बजे से पहले खाता 8692299 और IFSC - RBIS0GWPA01 में जमा **करवानी होगी**।

किसी भी परिस्थिति में ईएमडी को बैंकों की सावधि जमा, चेक या नकद के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा में निर्धारित बयाना राशि जमा के साथ नहीं होने वाली निविदाओं को गैर-वास्तविक निविदा के रूप में माना जाएगा और स्वीकृति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

7. उपर्युक्त आवश्यकताओं के संबंध में बैंक को संतुष्ट करने में इच्छुक निविदाकार विफल रहने की स्थिति में, बैंक निविदा के भाग- I के खुलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और अस्वीकृत निविदा का भाग- II नहीं खोला जाएगा।
8. यदि किसी भी निविदाकर्ता को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकों की रिपोर्ट से प्राप्त उसकी प्रदर्शन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग- I के खुलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे मामले में, अस्वीकृत निविदा का भाग- II नहीं खोला जाएगा और संबंधित निविदाकर्ता द्वारा जमा ईएमडी वापस कर दिया जाएगा। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हमने पात्रता मानदंड की अनुसूची को पढ़ और समझ लिया है और उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और यह मुझे/हमारे लिए बाध्यकारी रहेगा।

मुहर के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

पता:

दिनांक:

भाग I (खंड III)
बोली मूल्यांकन मानदंड

1. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग- I) मूल्यांकन

- अ. सीपीपी पोर्टल पर बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा।
- आ. बैंक बोलीदाताओं की पात्रता को पूरा करने के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण/सूचना/दस्तावेज मांग सकता है।
- इ. निर्धारित समय के भीतर इस तरह के स्पष्टीकरण/सूचना/दस्तावेज प्रदान करने में बोलीदाता की ओर से विफलता के लिए ऐसे बोलीदाता की बोली रद्द की जा सकती है।
- ई. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो बैंक के अनुरोध के जवाब में नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- उ. स्पष्टीकरण के लिए ग्राहक का अनुरोध और प्रतिक्रिया डाक या ईमेल के माध्यम से लिखित रूप में होगी।

2. मूल्य बोली (भाग - II) मूल्यांकन

- अ. मूल्य बोली के मूल्यांकन पर केवल उन बोलीदाताओं के विचार किया जाएगा जो निविदा दस्तावेज के "निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड" में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उसी के संबंध में सीपीपी पोर्टल पर दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करते हैं।
- आ. बोलीदाताओं की परीक्षा, मूल्यांकन और तुलना और बोली लगाने वालों की योग्यता में सहायता करने के लिए, बैंक, अपने विवेक पर, किसी भी बोलीदाता से अपनी बोली के स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है।
- इ. इस प्रकार का स्पष्टीकरण विस्तृत मूल्य विश्लेषण के साथ दिया जाना चाहिए जिसमें सभी उपकरणों,

उपकरणों, मशीनों, लिवरियों, सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन (निविदाकर्ता सभी जोखिम बीमा, कामगार मुआवजा अधिनियम, बोनस अधिनियम (यदि लागू हो) आदि और कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य प्रशासनिक शुल्क आदि शामिल हैं) और उपर्युक्त वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं/प्रदाताओं से प्राप्त कोटेशन के साथ समर्थित किया जाना चाहिए।

ई. इस प्रकार प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण की जांच पर, यदि निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरें व्यावहारिक/व्यवहार्य नहीं पाई जाती हैं, तो बैंक ऐसी निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

उ. निर्धारित समय के भीतर इस तरह का स्पष्टीकरण देने में बोलीदाता की ओर से विफलता के लिए ऐसे बोलीदाता की बोली को रद्द करना पड़ सकता है।

ऊ. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो ग्राहक के अनुरोध के जवाब में नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऋ. स्पष्टीकरण के लिए ग्राहक का अनुरोध और प्रतिक्रिया डाक या ईमेल के माध्यम से लिखित रूप में होगी।

ल. मूल्य बोलियों का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज के भाग- II में उल्लिखित निश्चित दरों के प्रतिशत के रूप में उद्धृत दरों के आधार पर किया जाएगा।

एँ. निविदा में बैंक द्वारा पहले से उल्लिखित निश्चित दरों पर कोई विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों से कम उद्धृत दरों वाली निविदाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और एल 1 निविदाकर्ता का पता लगाने के उद्देश्य से उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

ऐ. भाग II निविदा के खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ए. यदि दो या दो से अधिक निविदाकर्ता सबसे कम हो जाते हैं, तो सफल बोलीदाता के चयन के उद्देश्य से, सबसे कम बोली लगाने वाले निविदाकर्ताओं का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:

मानदंड 1- पिछला अनुभव (सुरक्षा गार्डों की सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में)

मूल्यांकन पंजीकरण प्रमाण पत्र और निविदा के भाग- I के साथ बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा गार्डों की सेवाएं प्रदान करने से संबंधित सबसे पुराने कार्य आदेश/समझौते के आधार पर किया जाएगा)

5-10 साल	10 अंक
10-15 साल	15 अंक
15-20 साल	20 अंक
> 20 साल	25 अंक

मानदंड 2- पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत कारोबार

मूल्यांकन पिछले 3 वित्तीय वर्ष के टर्नओवर प्रमाण पत्रों, आईटीआर, लाभ और हानि और शेष विवरण के आधार पर किया जाएगा, जिसे बोलीदाता द्वारा निविदा के भाग- I के साथ बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है)

11 - 15 लाख	10 अंक
15 - 20 लाख	15 अंक
20 - 25 लाख	20 अंक
> 25 लाख	25 अंक

मानदंड 3- रोल पर जनशक्ति की मात्रा

बोलीदाताओं को अपने दावे के समर्थन में नवीनतम ईपीएफ/ईएसआईसी विवरण के साथ यह जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

30- 50	10 अंक
50- 75	15 अंक
75- 100	20 अंक
> 100	25 अंक

मानदंड 4- हाथ में समान कार्यों की संख्या

बोलीदाताओं को यह जानकारी कार्य आदेश/समझौते, टीडीएस प्रमाण पत्र और दावा किए गए कार्य के खिलाफ भुगतान की रसीद दिखाने वाले बैंक स्टेटमेंट के साथ प्रदान करने की आवश्यकता होगी,

जब भी मांगा जाएगा)	
1-3	10 अंक
3-5	15 अंक
5-10	20 अंक
> 10	25 अंक

उपरोक्त मानदंडों के आधार पर सबसे कम बोली लगाने वालों के मूल्यांकन पर, उच्चतम अंकों वाले बोलीदाता को निविदा प्रक्रिया में सफल घोषित किया जाएगा। हालांकि, इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और यह मध्यस्थता के लिए खुला नहीं होगा।

भाग I (खंड IV)

ठेकेदार के लिए सामान्य निर्देश और अनुबंध की विशेष शर्तें

निर्धारित प्रपत्र में निविदा सीपीपी पोर्टल पर ई-टेंडरिंग के माध्यम से दो भागों यानी भाग- I और भाग- II में प्रस्तुत की जाएगी।

1. **निविदा का भाग - I, जिसका शीर्षक "बैंक के कार्यालय परिसर में सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध" है, प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:**

(i) निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार।

(ii) बैंक निविदाकर्ता द्वारा किसी भी अतिरिक्त शर्तों के निर्धारण को हतोत्साहित करता है। हालांकि, यदि निविदाकर्ता कार्य के लिए निविदा देते समय कोई शर्त/स्पष्टीकरण/क्वॉरिंग पत्र शामिल करना चाहता है, तो उसे निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत करना होगा और भाग - I के तहत प्रस्तुत करना होगा:

(अ) वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में विचलन, यदि कोई हो, की सूची।

(आ) तकनीकी विनिर्देश में विचलनों की सूची, यदि कोई हो।

(इ) कोई अन्य तकनीकी जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता है।

(iii) बैंक द्वारा जारी निविदा दस्तावेज - विधिवत मुहर लगाई गई और हस्ताक्षरित।

2. सुरक्षा गार्ड सेवाएं प्रदान करने में अपेक्षित वर्षों के अनुभव वाली मालिकाना फर्म/भागीदारी फर्म/कंपनियां ही ई-निविदा में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

3. यदि कोई वाणिज्यिक या तकनीकी शर्तें हैं, तो बैंक द्वारा इसकी जांच की जाएगी और निविदाकर्ताओं के साथ चर्चा की जाएगी। निविदाकर्ता द्वारा दी गई किसी भी अतिरिक्त शर्त को स्वीकार करना बैंक के लिए बाध्य नहीं है। निविदाकर्ता उन सभी शर्तों को वापस ले लेंगे जो बैंक को स्वीकार्य नहीं हैं, इस आशय की लिखित पुष्टि प्रस्तुत करके कि सभी शर्तें (बैंक के लिए स्वीकार्य नहीं) उनके द्वारा वापस ले ली गई हैं।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं करता

है और ऐसा करने के लिए कोई कारण बताए बिना, किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

5. निविदाकर्ता को अपनी जिम्मेदारी पर और अपने स्वयं के खर्च पर अपने लिए सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो निविदा के उद्देश्य से और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हो सकती है और काम की साइट का निरीक्षण करना चाहिए और सभी स्थानीय परिस्थितियों, काम तक पहुंच के साधन, काम की प्रकृति और दायरे और उससे संबंधित मामलों से खुद को परिचित करना चाहिए।
6. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अनुबंध की सामान्य शर्तों और निविदा दस्तावेजों में निहित कार्यों के दायरे के आधार पर सख्ती से निविदा प्रस्तुत करें, और किसी भी विचलन को निर्धारित न करें। यदि निविदा दस्तावेजों में दिए गए नियमों और शर्तों की स्वीकृति में कोई मूल्य निहितार्थ है, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और उद्धृत मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। नियमों और शर्तों से विचलन वाली निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता के लिए खुला नहीं होगा।
7. निविदा में उद्धृत दरें सभी संपत्तियों के लिए जनशक्ति, सामग्री सहित पूरी मद के लिए होंगी। दर में बीमा शुल्क, जीएसटी + कोई अन्य कर, शुल्क, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कार्य के अनुबंध पर लेवी भी शामिल होंगी। दरें निश्चित होंगी और विनिमय भिन्नताओं, श्रम शर्तों, रेलवे माल ढुलाई में उतार-चढ़ाव या किसी भी शर्त के अधीन नहीं होंगी, सिवाय इसके कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा घोषित वैधानिक न्यूनतम मजदूरी में कोई बदलाव हो और इस अनुबंध के तहत नियोजित सुरक्षा गार्डों के लिए ईपीएफ/ईएसआईसी की नियोक्ता योगदान दरों में बदलाव के लिए और यदि लागू हो।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकार किए गए और कार्यवाहक / बैंक के अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्य के संतोषजनक समापन के बाद मासिक आधार पर (एनईएफटी के माध्यम से बैंक खाते में जमा करके) भुगतान किया जाएगा।
9. **निविदा के भाग-II** में कोई शर्त नहीं होगी, बल्कि "भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर में कार्यालय परिसर

में सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध" शीर्षक वाली मात्रा की अनुसूची में केवल मूल्य बोली होगी और भाग-। निविदा के अनुसार शर्तों के उचित पूर्ति के बाद ऑनलाइन खोली जाएगी। निविदा के भाग-॥ में पाए गए नियम और शर्तों में परिवर्तन और तकनीकी विचलन, यदि कोई हो, को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और इसे अमान्य माना जाएगा।

10. **सूचना एकत्र करना और साइट निरीक्षण:** निविदाकर्ता अपनी जिम्मेदारी और व्यय पर सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो आवश्यक हो सकती हैं और निविदा बनाने और अनुबंध में प्रवेश करने के उद्देश्य से कार्य स्थल का निरीक्षण भी कर सकते हैं।

11. **दरें:** बैंक निम्नलिखित सामान्य नियमों के अनुसार निविदा में अंकगणितीय या अन्य त्रुटियों को समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उद्धृत शब्दों और आंकड़ों के बीच विसंगति की स्थिति में, शब्दों में विवरण प्रबल होगा। इसी तरह, गलत उत्पाद विस्तार के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले राशि कॉलम में त्रुटि की स्थिति में, इकाई या आइटम दरों को फर्म माना जाएगा और तदनुसार विस्तार में संशोधन किया जाएगा।

- i. निविदा के भाग- ॥ में दर्शाई गई कीमतें (न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ/ईएसआईसी योगदान, बैंक द्वारा निश्चित राशि आदि) केवल भारतीय रुपये में हैं। दरों को मूल्य बोली में इंगित निश्चित राशि के प्रतिशत के रूप में सख्ती से उद्धृत किया जाना है। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त कोटेशन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। भाग ॥ निविदा के उद्घाटन के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ii. दरें भी दृढ़ होंगी और अनुबंध की पूरी अवधि और/या उसके विस्तार के लिए वैध होंगी और विनिमय भिन्नताओं, श्रम शर्तों, माल ढुलाई शुल्क में उतार-चढ़ाव या किसी भी शर्त के अधीन नहीं होंगी।
- iii. निविदा में उद्धृत दरों में सभी शुल्क शामिल होंगे। निविदाकर्ताओं को अपनी दरों में माल और सेवा कर और केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य प्रचलित कर, रॉयल्टी और शुल्क, यदि लागू हो, शामिल करना चाहिए। माल और सेवा कर और किसी भी अन्य कर, शुल्क या लेवी के संबंध में कोई अलग दावा नहीं किया जाएगा, चाहे वह

मौजूदा हो या भविष्य।

- iv. बैंक निविदा में अंकगणितीय या अन्य त्रुटियों को समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। गलत उत्पाद विस्तार के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले राशि कॉलम में त्रुटि की स्थिति में, इकाई या आइटम दरों को फर्म माना जाएगा और तदनुसार विस्तार में संशोधन किया जाएगा।

12. **एकमुश्त आधार पर नौकरी का कार्य:** निविदाकर्ता ध्यान देंगे कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो, निविदा एकमुश्त आधार पर नौकरी के काम पर सख्ती से है और उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक नौकरी के लिए दरें सही, व्यावहारिक और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। निविदा के भाग-II में मात्रा लगभग काम की कुल सीमा को इंगित करती है, लेकिन किसी भी हद तक भिन्न हो सकती है और यहां तक कि छोड़ी जा सकती है इस प्रकार अनुबंध के कुल मूल्य को बदल दिया जा सकता है। ऐसे मामले में दावे पर आनुपातिक आधार पर विचार किया जाएगा।

13. **निविदा प्रारूप:** निविदाकर्ता दरों को भरने के लिए केवल बैंक द्वारा जारी किए गए प्रपत्रों का उपयोग करेगा। निविदाकर्ता द्वारा किए गए निविदा प्रपत्र के पाठ में कोई भी जोड़/परिवर्तन वैध नहीं होगा और इसे अमान्य माना जाएगा।

14. **निविदा खोलना:** जब तक अन्यथा निविदाकर्ताओं को अग्रिम सूचना के साथ पूर्व-खोला या स्थगित नहीं किया जाता है, ई-टेंडरिंग पोर्टल पर इंगित तिथि और समय पर निविदा दो चरणों में खोली जाएगी।

- i. निविदा का भाग- I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) अक्टूबर 28, 2026 को पहले चरण में 1500 बजे सीपीपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन खोला जाएगा (यदि इस दिन अवकाश होता है, तो निविदाएं बैंक के अगले कार्य दिवस या बैंक द्वारा अधिसूचित किसी अन्य दिन पर खोली जाएंगी)। जबकि भाग- II (मूल्य बोली) निविदा के भाग- I के मूल्यांकन के पूरा होने के बाद दूसरे चरण में खोला जाएगा।
- ii. निविदाओं के साथ बयाना राशि जमा नहीं की जाएगी, जैसा कि निविदा में निर्धारित किया गया है, उन्हें गैर-वास्तविक निविदा के रूप में माना जाएगा और स्वीकृति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

- iii. निविदाकर्ताओं द्वारा दी गई किसी भी अतिरिक्त शर्त को स्वीकार करना बैंक के लिए बाध्य नहीं है; निविदाकार अपनी सभी शर्तों को वापस ले लेंगे जो बैंक को स्वीकार्य नहीं हैं।
- iv. जबकि नियत तारीख और समय के भीतर निविदाएं अपलोड करने वाले सभी निविदाकर्ताओं को ई-निविदा पोर्टल पर इंगित नियत तारीख और समय पर निविदा के भाग- I (तकनीकी-वाणिज्यिक) के उद्घाटन में ऑनलाइन भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, निविदा के भाग- II (मूल्य) को खोलने पर केवल उन निविदाकर्ताओं द्वारा भाग लिया जा सकता है जिनके निविदाओं के भाग- I (तकनीकी-वाणिज्यिक) बैंक के लिए तकनीकी उपयुक्त/स्वीकार्य पाए जाते हैं और जिन्हें बैंक द्वारा ईमेल या ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से इसकी सूचना दी जाती है।
- v. तकनीकी रूप से अयोग्य निविदाकर्ताओं का भाग- II (मूल्य) नहीं खोला जाएगा। तकनीकी रूप से अयोग्य निविदाकर्ताओं को न तो निविदा के भाग- II (मूल्य) के खुलने की नियत तारीख और समय के बारे में कोई सूचना दी जाएगी और न ही उन्हें इसके ऑनलाइन उद्घाटन में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
- vi. बैंक निविदाओं के भाग-I और भाग-II खोलने के बाद भी किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

15. **अंतिम तिथि:** किसी भी परिस्थिति में अक्टूबर 27, 2026 को **1400 बजे के** बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

16. **अयोग्यता - गुम और अहस्ताक्षरित दस्तावेज:** निविदा फॉर्म और उसके सभी अनुलग्नक विधिवत भरे जाने चाहिए। यदि कोई दस्तावेज गुम है या अहस्ताक्षरित है, तो निविदा को बैंक द्वारा अपने विवेक पर अमान्य माना जा सकता है।

17. **स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार:** भारतीय रिज़र्व बैंक सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है और ऐसा करने के लिए कोई कारण बताए बिना किसी भी या सभी निविदाओं को पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का

अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदाकर्ता जिसकी निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, वह निविदाओं को प्रस्तुत करने के माध्यम से या उसके संबंध में किसी भी लागत, शुल्क, क्षति और व्यय का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक निविदा को संशोधित करने/वापस लेने का अधिकार हो और हो।

18. **निविदा की वैधता:** कीमतों के साथ निविदा भाग- I के खुलने की तारीख से 3 महीने की अवधि के लिए शुरू में वैध रहेगी, जिसे निविदाकर्ता द्वारा लिखित रूप में आपसी समझौते द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा या उद्धृत दरों को नहीं बदलेगा।

19. **कार्य का व्यापक दायरा:** कार्य का दायरा निविदा दस्तावेज के "कार्य का दायरा और मात्रा की अनुसूची" में विस्तृत होगा।

20. **सबसे कम निविदा आवश्यक रूप से स्वीकार नहीं की जानी चाहिए:** बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने या किसी भी निविदा को स्वीकार न करने का कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। निविदाकर्ता जिसकी निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, वह निविदाओं को प्रस्तुत करने के माध्यम से या उसके संबंध में किसी भी लागत, शुल्क, क्षति और उसके द्वारा किए गए या उसके द्वारा किए गए किसी भी लागत, शुल्क, क्षति और खर्च का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक निविदा को संशोधित करने/वापस लेने का विकल्प चुन सकता है।

21. **अनुबंध अवधि के दौरान बयाना धन और प्रदर्शन की गारंटी**

अ) निविदाकार भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर के पक्ष में एनईएफटी द्वारा **₹90,600 /- (रुपए नब्बे हजार छे सौ मात्र)** की राशि बयाना राशि के रूप में भुगतान करेंगे । किसी भी परिस्थिति में ईएमडी को बैंक या चेक की सावधि जमा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुबंध प्रदान करने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध की उचित पूर्ति के लिए सुरक्षा जमा के लिए बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र (जो स्वीकृति पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा) में किसी भी अनुसूचित बैंक से प्रदर्शन गारंटी के रूप में अनुबंध मूल्य के 5% (पांच प्रतिशत) के बराबर राशि प्रस्तुत करेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बयाना राशि जमा प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने के बाद कार्य प्रदान करने के एक महीने के भीतर वापस कर दी जाएगी। सुरक्षा जमा के लिए प्रदर्शन गारंटी पूरे अनुबंध

अवधि के लिए मान्य होगी।

आ) इस अनुबंध की शर्तों के तहत निविदाकर्ताओं द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को सुरक्षा जमा से काटा जा सकता है, यदि राशि अनुमति देती है, जब तक कि निविदाकर्ता बैंक द्वारा मांग नोटिस जारी करने के दस दिनों के भीतर ऐसी राशि नकद में जमा नहीं करते हैं।

22. भुगतान की शर्तें:

अ) इस अनुबंध के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए भुगतान निविदाकर्ताओं से बिल प्राप्त होने पर मासिक आधार पर किया जाएगा। देय राशि इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार सेवाओं में कमी के लिए किसी भी वसूली के लिए शुद्ध होगी। बिल जीएसटी प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भुगतान के लिए बिल के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले फर्म द्वारा विधिवत प्रमाणित किसी विशेष महीने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति:

- i. उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति।
- ii. सहायक कार्यवाहक/कार्यवाहक/सहायक प्रबंधक/सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कार्य की रिपोर्ट
- iii. खाता होना वक्तव्य दिखा रहा है भुगतान का न्यूनतम मजदूरी
(श्रमिकों/कामगारों को भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा)
- iv. ठेका श्रम अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुपालन की घोषणा।
- v. पीएफ/ईएसआई के लिए किए गए भुगतान को इंगित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य, यदि लागू हो।
- vi. बैंक द्वारा निदेशित कोई अन्य लॉगबुक/दस्तावेज ।

आ) यह ध्यान दिया जा सकता है कि निविदाकर्ता पहले मजदूरों/श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करेंगे और फिर श्रमिकों को मजदूरी के प्रेषण के प्रमाण के साथ इसकी प्रतिपूर्ति के लिए बिल प्रस्तुत करेंगे। किसी भी परिस्थिति में निविदाकर्ताओं को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

इ) भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान की उपरोक्त शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा।

23. **कर:** उद्धृत कीमतों में केंद्र / राज्य सरकार / स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए सभी कर (जीएसटी को छोड़कर), सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, स्थानीय लेवी, कार्य अनुबंध कर, मूल्य वर्धित कर (वैट), सेवा कर आदि शामिल हैं। यदि निविदाकर्ता निविदा में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बाद में बैंक द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 194 सी के अनुसार, आयकर स्रोत पर काटा जाएगा और निविदाकर्ताओं को इसके लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके अलावा, जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 51 के अनुसार, दो प्रतिशत जीएसटी टीडीएस स्रोत पर काटा जाएगा।

24. सुरक्षा-कवच

अ) सफल निविदाकर्ता, अपने स्वयं के खर्च पर, अनुबंध अवधि के अंत तक बैंक और निविदाकर्ताओं के संयुक्त नामों में अनुबंध मूल्य के लिए एक "सभी जोखिम नीति" प्राप्त करने और बनाए रखने की व्यवस्था करता है (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले रखा जा रहा है) मानक के अनुसार सभी जोखिमों के खिलाफ निविदाकारों और श्रमिकों के लिए मुआवजा नीति, इस काम के लिए उनके द्वारा लगाए गए व्यक्तियों की कोई शारीरिक चोट और/या मृत्यु आदि और कार्य शुरू करने से पहले बैंक के साथ ऐसी नीति या नीतियों को जमा करें। निविदाकार कार्य निष्पादित करते समय व्यक्तियों या भवन या तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेंगे।

आ) निविदाकार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली सभी चोटों के लिए और संपत्ति को सभी संरचनात्मक और सजावटी क्षति के लिए जिम्मेदार होंगे जो स्वयं या किसी भी नामित उप-निविदाकर्ता के कर्मचारियों के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या अनुबंध के संचालन से जुड़े किसी भी अन्य मामले से उत्पन्न हो। इस खंड में, अन्य बातों के साथ-साथ, इमारतों को कोई भी नुकसान, चाहे वह तत्काल आसन्न हो या अन्यथा और सड़कों, सड़कों, फुटपाथों, पुलों या मार्गों को किसी भी क्षति के साथ-साथ इस अनुबंध का विषय बनाने वाली इमारतों और कार्यों को होने वाले सभी नुकसान, ठंड या मौसम की अन्य प्रतिकूल स्थिति से शामिल किया जाएगा। निविदाकार बैंक को क्षतिपूर्ति करेंगे और उसे उपरोक्त के रूप में व्यक्तियों या संपत्ति को किसी भी तरह की चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी

खर्च के संबंध में हानिरहित ठहराएंगे और भारत सरकार के किसी भी अधिनियम के तहत चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के संबंध में या अन्यथा और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में भी।

नोट: ये नीतियां काम पूरा होने तक वैध रहेंगी। यदि निविदाकर्ता ये नीतियां प्रदान नहीं करते हैं, तो बैंक उपरोक्त बीमा पॉलिसियों को स्वयं लेने और निविदाकर्ताओं के बिल से उसकी लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

25. **अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर:** निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देश और इससे पहले निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न अनुबंध और तकनीकी विनिर्देशों की शर्तों को संदर्भित किया गया है, बैंक और निविदाकर्ता के बीच बाद के पत्राचार का आदान-प्रदान, और दिया गया कार्य आदेश सफल निविदाकर्ता के साथ दर्ज किए जाने वाले अंतिम अनुबंध का आधार होगा।
26. निविदाकर्ता इसके साथ अनुबंध की सामान्य शर्तों में दिए गए नियमों और शर्तों के माध्यम से जाएगा और उसका प्रस्ताव उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप सख्ती से होगा। निर्दिष्ट नियमों और शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके अनुबंध की सामान्य शर्तों, तकनीकी विशिष्टताओं आदि से खुद को परिचित करने के लिए हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
27. एक फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों या एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके पास प्रस्तावित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक अधिकार है। अन्यथा, निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।
28. बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर सफल निविदाकर्ता मसौदा समझौते के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने आप में एक निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी समझौते का गठन करेगी, चाहे ऐसा अनुबंध बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।
29. निविदाकार अनुबंध नहीं सौंपेंगे। वह बैंक की लिखित सहमति के अलावा अनुबंध के किसी भी हिस्से को सबलेट नहीं करेगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, बैंक निविदाकर्ताओं को अनुबंध को रद्द करने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस दे सकता है, जिसके बाद निविदाकर्ताओं के खिलाफ अपने

अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सुरक्षा जमा बैंक को जब्त कर ली जाएगी।

30. **पार्ट टेंडर स्वीकार करने का अधिकार:** बैंक निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत समान कीमतों पर या तो पूर्ण या आंशिक रूप से निविदा स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
31. **अन्य मुद्दे:** निविदाकार बैंक के अधिकारियों के विस्तृत विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार सभी कार्यों को सख्ती से पूरा करेंगे। यदि बैंक के अधिकारियों की राय में, साइट की स्थिति के अनुरूप नाममात्र परिवर्तन किए जाने हैं और बैंक के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ, निविदाकार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे पूरा करेंगे।
32. बोलीदाता के पास प्रतिस्थापन/रिलीवर की देखभाल करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति के साथ अनुबंध के स्थान पर कार्यालय होना चाहिए।
33. बोलीदाता निजी सुरक्षा एजेंसियों मॉडल विनियम, 2006 के संदर्भ में लाइसेंस प्राप्त प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा जारी फॉर्म 6 पर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा या एजेंसी को प्राधिकृत प्रशिक्षक/प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए।
34. **मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटान:**
- i. किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो अनुबंध से उत्पन्न होते हैं या उसके संबंध में या कार्यों को पूरा करने के संबंध में (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या इसके पूरा होने के बाद और चाहे अनुबंध की समाप्ति या परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) बैंक द्वारा संदर्भित और निपटाया जाएगा जो अपना निर्णय लिखित रूप में बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवाद के मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और अपील के बिना होगा। लेकिन यदि निविदाकर्ता किसी भी मामले पर असंतुष्ट है, तो वह इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर, दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है जिसमें यह आवश्यक है कि विवाद में मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए। इस तरह की लिखित सूचना उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी जो विवाद या मतभेद में हैं जिनके लिए इस तरह की लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत हैं, तो इस उद्देश्य के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई समझौता नहीं हो सकता है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पार्टियों द्वारा नामित दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

- ii. मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाण पत्र को खोलने और संशोधित करने की शक्ति होगी, राय, निर्णय, मांग या नोटिस, पिछले खंड में संदर्भित मामलों को छोड़कर, और विवाद के सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनमें से नोटिस पूर्वोक्त के रूप में दिया जाएगा.
- iii. मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, एक वर्ष के भीतर अपना पुरस्कार देगा (या इस तरह के आगे बढ़ाया गया समय जैसा कि उसके द्वारा तय किया जा सकता है या जैसा कि पक्षों की सहमति से मामला हो सकता है) संदर्भ पर प्रवेश करने की तारीख से. मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्ष पारस्परिक रूप से अपने विवाद या अंतर को सुलझाते हैं या समझौता करते हैं, निपटान या समझौते का अपना संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने वाले पक्षों पर, मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, इस तरह के समझौते या समझौते के संदर्भ में एक पुरस्कार देगा.
- iv. इस तरह के किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और पुरस्कार के लिए आकस्मिक लागत पर निर्णय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर होगा, जैसा भी मामला हो, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकता है या पार्टी के बीच कर लगाने के लिए निर्देशित कर सकता है और निर्देशित करेगा कि किसके द्वारा और किसके लिए और किस तरीके से इसे वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा.
- v. इस सबमिशन को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए एक प्रस्तुति माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, पार्टियों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि निविदाकर्ता ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेंगे, लेकिन सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और जब तक मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय नहीं दिया जाता है, तब तक बैंक के निर्णय का पालन करेंगे। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, निविदाकर्ताओं को कार्यों के वास्तविक संचालन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। बैंक और निविदाकर्ता एतद्वारा इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता अनुबंध के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक शर्त होगी।

35. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम/नियमों और ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम/नियमों और अन्य कानूनों/नियमों/अधिसूचना की आवश्यकताओं का अनुपालन, जैसा लागू हो,

- i. निविदाकर्ता ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 / अनुबंध श्रम (विनियमन और

उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत खुद को पंजीकृत करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जब भी आवश्यक हो। निविदाकर्ता ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 और अनुबंध श्रम (आर एंड ए) केंद्रीय नियम, 1971 के सभी प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेंगे और श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय के तहत और उसके द्वारा निर्धारित सभी रिकॉर्ड को बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।

- ii. निविदाकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम 1950 के प्रावधानों और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार अपने श्रमिकों को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। निविदाकार भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं के तहत आवश्यक न्यूनतम मजदूरी के संबंध में प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखेंगे।
- iii. निविदाकार ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 / ठेका श्रम (आर एंड ए) केंद्रीय नियम, 1971, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम 1950 और प्रासंगिक श्रम और सामान्य कानूनों/नियमों और अधिसूचनाओं के तहत अपेक्षित सभी दस्तावेजों, रजिस्ट्रों और रिकॉर्ड को बनाए रखेंगे और इसे बैंक या उसके अधिकारियों और श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के अधिकारी या संबंधित कानूनों/नियमों के तहत ऐसी शक्तियों से सम्मानित किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएंगे।
- iv. निविदाकार समय-समय पर जारी अपनी अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में लागू किए गए किसी भी परिवर्तन का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होंगे और उक्त परिवर्तनों को लागू करेंगे और तत्काल प्रभाव से तदनुसार अपने कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान करेंगे और इस संबंध में सभी रिकॉर्ड को अद्यतन रखेंगे और बिना किसी देरी के आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करते हुए बैंक को उक्त विकास के साथ तैनात रखेंगे।
- v. निविदाकार अपने कामगारों पर लागू श्रम कानूनों की संपूर्ण वैधानिक शर्तों और आवश्यकताओं जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, पीएफ का भुगतान, ईएसआई अधिनियम, कामगार मुआवजा अधिनियम, आदि और सभी सरकारी देनदारियों के उचित अवलोकन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।
- vi. निविदाकार प्रचलित श्रम कानूनों और अन्य कानूनों/नियमों/विनियमों के अनुसार सभी कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे, जैसा भी मामला हो और बैंक, किसी भी तरह

से निविदाकर्ताओं की ओर से किसी भी कार्य, चूक या कमीशन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और इस संबंध में कोई दावा बैंक या उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ नहीं होगा।

- vii. बैंक में ठेका कार्य निष्पादित करने के लिए निविदाकर्ताओं द्वारा तैनात श्रमिकों के लिए उपयुक्त एजेंसी को पीएफ (बैंक और कर्मचारी) और ईएसआई के सांविधिक अंशदान के प्रेषण का प्रमाण, चयनित निविदाकारों/एजेंसी द्वारा दावा बिल के साथ हर महीने बैंक को प्रदान किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर दावा बिल का निपटान नहीं किया जाएगा।

36. बैंक के परिसर में प्रवेश करने के लिए सभी कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों/अधिकारियों का पुलिस सत्यापन:

सफल निविदाकर्ता अपने पहचान रिकॉर्ड के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों से प्रत्येक तैनात कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों/अधिकारियों का आवश्यक पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। तैनाती में किसी भी बदलाव को बिना किसी चूक के उपरोक्त प्रावधान के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और यदि कार्य मुझे/हमें सौंपा जाता है तो यह मुझे/हमारे लिए बाध्यकारी रहेगा।

मुहर के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

पता:

दिनांक:

भाग I (खंड V)

कार्य का दायरा और मात्रा का निर्धारण

कार्य के दायरे में निम्नलिखित क्षेत्र और जनशक्ति की आवश्यकता शामिल होगी:

1. क्षेत्रों का विवरण

क्र.सं.	कार्यालय भवन	जनशक्ति की आवश्यकता
1.	आरबीआई, ईटानगर में कार्यालय भवन	गार्ड: प्रति शिफ्ट 02 गार्ड। नहीं। पारियों की संख्या: 03 कुल संख्या। गार्डों की संख्या = 06 किसी भी गार्ड के आपातकालीन अवकाश पर होने की स्थिति में अवकाश आरक्षित के रूप में 02 अतिरिक्त गार्ड
गार्डों की कुल संख्या		08

- i. निविदाकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक दिन में न्यूनतम 8 सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए जाएं। किसी भी दिन जनशक्ति में किसी भी कमी के मामले में, बैंक **कुल अनुपस्थित लोगों की दैनिक मजदूरी की दोगुनी दर के बराबर जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**
- ii. सुरक्षा गार्ड एक भूतपूर्व सैनिक या प्रशिक्षित नागरिक गार्ड या दोनों का संयोजन हो सकता है।
- iii. निजी सुरक्षा गार्ड बनने के लिए पात्रता मानदंड।
एक निजी सुरक्षा एजेंसी किसी भी व्यक्ति को निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में नियोजित या संलग्न नहीं करेगी जब तक कि वह-
 १. भारत का नागरिक है या ऐसे अन्य देश का नागरिक है जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है;
 २. अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।
 ३. एजेंसी को उसके चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में इस तरह से संतुष्ट करता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
 ४. निर्धारित सुरक्षा प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
 ५. ऐसे भौतिक मानकों को पूरा करता है जो निर्धारित किए जा सकते हैं; तथा

६. ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता है जो निर्धारित की जा सकती हैं।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है या जिसे संघ, राज्य पुलिस संगठनों, केंद्र या राज्य सरकारों या किसी निजी सुरक्षा एजेंसी में सेवारत रहते हुए कदाचार या नैतिक अधमता के आधार पर बर्खास्त या हटा दिया गया है, को निजी सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या नियोजित नहीं किया जाएगा।

(3) प्रत्येक निजी सुरक्षा एजेंसी, किसी व्यक्ति को निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में नियोजित करते समय, किसी ऐसे व्यक्ति को वरीयता दे सकेगी जिसने निम्नलिखित में से एक या अधिक में सदस्य के रूप में कार्य किया है, अर्थात्: -

(i) सेना;

(ii) नौसेना;

(iii) वायु सेना;

(iv) संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल।

(v) पुलिस, राज्यों के सशस्त्र कांस्टेबलरी सहित; और

(vi) होमगार्ड।

iv. निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यक्ति समय के पाबंद और अनुशासित हों और अपने कर्तव्य के प्रदर्शन में सतर्क रहें। निविदाकर्ताओं द्वारा इस तरह से नियुक्त किए गए व्यक्ति उच्च सत्यनिष्ठा और अच्छे आचरण वाले व्यक्तियों/व्यक्तियों में से होंगे और हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में पारंगत होंगे।

2. कार्य का दायरा

i. **अभिगम नियंत्रण:** परिसर में प्रवेश/बाहर निकलने वाले व्यक्ति पर नजर रखें। इस उद्देश्य के लिए प्रवेश द्वार पर रखे रजिस्टर में प्रविष्टियां करके आगंतुकों का उचित विवरण बनाए रखें। अनधिकृत व्यक्तियों और वाहनों, असामाजिक तत्वों, आवारा कुत्तों/मवेशियों को रोकें और बैंक के कर्मचारियों और परिवारों और संपत्ति की रक्षा करें।

ii. पूरे दिन और रात परिधि के साथ गश्त।

- iii. आपात स्थिति के दौरान कार्यालय भवन में उपलब्ध कराए गए अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करे जब कभी आवश्यक हो, अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराना।
 - iv. लाइट ऑपरेशन: 1800 बजे सीढ़ियों और कंपाउंड में लाइट चालू करना और रोजाना 0600 बजे इसे बंद कर देना।
 - v. कुंजी प्रबंधन: वीओएफ, कार्यालय कक्ष और कार्यालय के परिसर की चाबियों को वास्तविक कर्मचारियों को सौंपना/संभालना।
 - vi. बैंक द्वारा निर्धारित विजिटर रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर आदि का रखरखाव करना।
 - vii. ई-कॉमर्स/कूरियर डिलीवरी व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखना।
 - viii. बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कर्तव्य/जिम्मेदारी को निष्पादित करना होगा।
 - ix. ड्यूटी पर गार्ड तब तक परिसर नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसका रिलीवर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करता।
 - x. संचार: एजेंसी ड्यूटी गार्ड के आधिकारिक संचार के लिए इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल सुविधा के साथ एक कार्यात्मक मोबाइल फोन प्रदान करेगी और रखती है।
3. यदि कोई व्यक्ति खराब कारीगरी, दुर्व्यवहार, बैंक के निर्देशों की अवहेलना आदि करते हुए पाया जाता है, तो एजेंसी ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को बैंक द्वारा निर्देशित कार्य से हटा देगी।
4. दिलचस्प निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे बैंक से पूर्व अनुमति के साथ साइट का निरीक्षण करें और अपनी दरों को उद्धृत करने से पहले निष्पादित किए जाने वाले कार्य का पता लगाएं।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदा की मात्रा की अनुसूची को पढ़ और समझ लिया है और उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और यदि कार्य मुझे/हमें सौंपा जाता है तो यह मुझे/हमारे लिए बाध्यकारी रहेगा।

मुहर के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
पता:

दिनांक:

भाग I (खंड VI)

अनुबंध के नियम और शर्तें

- समझौता:** बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता मसौदा समझौते और शर्तों की अनुसूची के अनुसार चौदह दिनों के भीतर औपचारिक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और इस तरह से निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी, चाहे इस तरह के औपचारिक समझौते को बाद में चौदह दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर निष्पादित किया गया हो या नहीं। जब तक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं, तब तक बैंक द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। समझौते को डुप्लिकेट में निष्पादित किया जाएगा। एक प्रति बैंक की हिरासत में रहेगी और प्रति का दूसरा सेट निविदाकर्ताओं की हिरासत में रहेगा। समझौता आवश्यक स्टॉप पेपर (राज्य में लागू स्टॉप शुल्क के बराबर मूल्य) पर किया जाएगा और दोनों दस्तावेजों पर आवश्यक स्टॉप शुल्क की लागत पूरी तरह से निविदाकर्ताओं द्वारा वहन की जाएगी।
- अनुबंध और समीक्षा की अवधि:** अनुबंध शुरू में 31 मार्च, 2028 तक वैध होगा, और संतोषजनक प्रदर्शन, या अन्य अवधि या मापदंडों के अधीन अधिकतम दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि बैंक तय कर सकता है। उपचार और कारीगरी संतोषजनक पाए जाने पर जारी रहेगा। निविदाकर्ताओं के प्रदर्शन की त्रैमासिक समीक्षा की जाएगी। यदि पहले तीन महीनों के भीतर काम असंतोषजनक पाया जाता है, तो 07 दिनों का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- संधि उपकिराया :** निविदाकार मात्रा की अनुसूची के अनुसार कार्य करने के लिए सभी व्यवस्था करेंगे, बैंक पुरुषों/सामग्री के रूप में किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेगा। निविदाकार बैंक की लिखित सहमति के अलावा अनुबंध के किसी भी हिस्से को सौंपेंगे नहीं या सबलेट नहीं करेंगे और कोई भी उपक्रम निविदाकर्ताओं को अनुबंध की पूरी और पूरी जिम्मेदारी से या उनकी प्रक्रिया के दौरान कार्यों के गतिविधि पर्यवेक्षण से मुक्त नहीं करेगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, बैंक निविदाकर्ताओं को अनुबंध को रद्द करने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस दे सकता है, जिसके बाद निविदाकर्ताओं के खिलाफ अपने अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक को सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
- कार्य की प्रकृति:** सुरक्षा गार्डों/श्रमिकों/कर्मचारियों के नियोजन के माध्यम से निविदाकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला कार्य/कार्य स्थायी प्रकृति का नहीं है।

5. सभी सुरक्षा गार्डों को नामित बैंक के अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। काम 08 घंटे (30 मिनट के लंच ब्रेक सहित) के लिए होगा, जैसा कि नीचे बताया गया है -

१. I शिफ्ट - 0600 बजे से 1400 बजे तक
२. II शिफ्ट - 1400 बजे से 2200 बजे तक
३. III शिफ्ट - 2200 बजे से 0600 बजे तक

सप्ताह में 06 कार्य दिवस। हालांकि, यदि आवश्यक हो तो बैंक कुछ श्रमिकों के लिए काम के घंटों में कुछ बदलाव लाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। साथ ही, आपात स्थिति के मामले में श्रमिकों को बैंक के अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आपातकाल समाप्त होने तक काम करना जारी रखना होगा।

6. **उपस्थिति रिकॉर्ड का रखरखाव:** निविदाकर्ताओं को स्थायी उपस्थिति रजिस्टर / रोल बनाए रखने की आवश्यकता होगी जो भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर के अधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और जांच के लिए खुला होगा। रजिस्टर को दैनिक आधार पर बैंक के अधिकारी के सामने रखा जाएगा। **कर्मचारियों की अनुपस्थिति या सहमत से कम संख्या में गार्डों की तैनाती के मामले में, बैंक कुल अनुपस्थित लोगों की दैनिक मजदूरी की दर से दोगुनी दर पर जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी गार्ड को एक दिन (24 घंटे) में 8 घंटे से अधिक ड्यूटी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी दोहरे शुल्क की अनुमति नहीं है।** उल्लंघन के मामले में बैंक को आनुपातिक आधार पर भुगतान में कटौती करने का अधिकार होगा और इस मामले में किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. **सेवाओं को** प्रभावित किए बिना वैधानिक आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था के साथ सभी सुरक्षा गार्डों (जिसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए) को साप्ताहिक अवकाश दिया जाना चाहिए। इसी तरह श्रम कानूनों के अनुसार गार्ड/श्रमिकों को छुट्टी दी जानी चाहिए। फर्म द्वारा उद्धृत दरों के अलावा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं माना जाएगा।
8. **मजदूरी का भुगतान:** निविदाकर्ता श्रम कानूनों के अनुसार वेतन पर्ची के रूप में श्रमिकों को भुगतान का रिकॉर्ड रखेंगे और इसे मासिक आधार पर जमा करेंगे। संपर्ककर्ता अपने कर्मचारियों के बैंक खाता विवरण की प्रति भी प्रस्तुत करेगा, जिसमें मासिक वेतन का क्रेडिट दर्शाया गया हो, प्रत्येक सुरक्षा गार्ड के लिए ईएसआईसी भुगतान का प्रमाण जो बिल के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। बैंक न्यूनतम वेतन को सत्यापित करने के लिए अधिकारी/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. **यदि सेवाओं में किसी भी कमी को निर्धारित वर्दी न पहनना, कम जनशक्ति, गार्ड द्वारा डबल शिफ्ट आदि** शामिल नहीं किए जाते हैं।, एक आनुपातिक राशि, जैसा कि बैंक द्वारा उपयुक्त समझी जाती है, मासिक बिल से सेवाओं में कमी के लिए दंड के रूप में काटी जा सकती है और किसी भी मामले में, इसे भविष्य में निविदाकर्ताओं को वापस नहीं किया जाएगा। जुर्माना लगाने और लागू करने के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और जुर्माने का भुगतान किसी भी तरह से किसी भी अनियमितता या किसी भी अन्य के नियमितीकरण के समान नहीं होगा। उपरोक्त दंड कुल एएमसी अनुबंध मूल्य के 20% की सीमा के अधीन होगा।

10. **यूनिफॉर्म और पहचान पत्र** - विक्रेता को प्रदान करना होगा;

- i. फर्म (निविदाकर्ताओं) के लोगो के साथ पूरी पैट और फुल/हाफ शर्ट के साथ उचित वर्दी और कार्यालय परिसर में तैनात सभी सुरक्षा गार्डों को कंपनी का नाम लिखा हुआ "सुरक्षा गार्ड", हेडगियर, बेल्ट, सुरक्षा जूते, सीटी, टॉर्च और बैटन के साथ बैटन।
- ii. मानसून और सर्दियों के दौरान आवश्यक समान वस्तुएं जैसे रेनकोट और शीतकालीन परिधान निविदाकर्ताओं द्वारा गार्डों को उपलब्ध कराई जाएंगी।
- iii. निविदाकर्ता अपने कर्मचारियों/सुरक्षा गार्डों को कंपनी पहचान पत्र भी जारी करेंगे। इसके अलावा, अनुबंध कर्मचारियों को बैंक का अनुबंध कर्मचारी विजिटर पास भी ले जाना होगा, जिस पर बैंक के सुरक्षा प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।
- iv. सभी समान वस्तुओं को बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपलब्ध कराया जाएगा और विक्रेता के प्रशासनिक खर्चों में शामिल किया जाना चाहिए।
- v. निविदाकर्ताओं को वर्दी की लागत वहन करनी होगी। इसकी प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा नहीं की जाएगी। साथ ही, यह नियोजित कर्मचारियों से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

11. **औचक जांच:** सुरक्षा अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति निविदाकर्ताओं द्वारा तैनात व्यक्तियों पर औचक जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके द्वारा तैनात व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर रहे हैं। इसके अलावा, एजेंसी को कार्यालय परिसर में तैनात गार्डों की सतर्कता की जांच करने के लिए विषम समय (0000 बजे से 0400 बजे तक) पर नियमित रूप से औचक जांच करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। यात्रा को रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा।

12. **बयाना राशि जमा:** सफल निविदाकर्ता/बोलीदाता की जमानत जमा राशि में स्थानांतरित कर दी जाएगी। एएमसी की समाप्ति पर निविदाकर्ताओं को बिना किसी ब्याज के ईएमडी/सुरक्षा जमा जारी किया जाएगा।
13. **ईएमडी/सुरक्षा जमा से कटौती:** इस अनुबंध की शर्तों के तहत निविदाकर्ताओं द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को उसकी बयाना राशि और सुरक्षा जमा से काटा जा सकता है यदि राशि इसकी अनुमति देती है, और निविदाकर्ता, जब तक कि ऐसी जमा अन्यथा देय न हो जाए, इस तरह की कटौती के दस दिनों के भीतर इस तरह की कटौती की गई राशि को अच्छा बना देगा।
14. **निष्पादन (बैंक) गारंटी:** ईएमडी के अलावा, सफल निविदाकर्ता, बैंक द्वारा कार्य प्रदान करने की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से प्राप्त निष्पादन (बैंक) गारंटी (अपनी लागत पर निविदाकर्ताओं द्वारा व्यवस्था की जाएगी) अनुबंध मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर राशि के लिए बैंक द्वारा अनुमोदित प्रारूप में प्रस्तुत करेगा। यह कार्य को पूरा करने और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली कारीगरी के साथ निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए है।
उपर्युक्त प्रदर्शन गारंटी सभी प्रकार से कार्य के संतोषजनक समापन तक वैध होगी और निविदाकर्ताओं द्वारा विस्तारित समापन समय, यदि कोई हो, तक नवीनीकृत किया जाना होगा। यदि निविदाकर्ता उपरोक्त में से किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहते हैं, तो बैंक बैंक के सुरक्षा प्रबंधक द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर गारंटी का आह्वान करने के लिए स्वतंत्र होगा। पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के बाद गारंटी जारी की जाएगी।
15. **स्पष्टीकरण:** किसी भी मद या विनिर्देश में चूक और/या संदेह या विसंगतियों के सभी मामलों में बैंक को एक संदर्भ दिया जाएगा जिसकी व्याख्या, विस्तार या निर्णय को प्रामाणिक माना जाएगा। निविदाकर्ताओं को किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा जो इस तरह के संदर्भ और सावधानी के अभाव के कारण कार्य में हो सकती है।
16. **अनुबंध कर्मचारियों का पूर्ववृत्त और पुलिस सत्यापन:** निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि नियोजित सुरक्षा गार्डों को कानून की अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है / उनके पास आपराधिक रिकॉर्ड या उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही नहीं है। नौकरी के लिए नियोजित प्रत्येक सुरक्षा गार्ड का पासपोर्ट आकार फोटो सहित पूर्ण बायोडाटा (अनुलग्नक-XI के तहत निर्धारित प्रारूप में), बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा। सुरक्षा गार्डों का पुलिस सत्यापन निविदाकर्ताओं द्वारा बैंक को बैंक में शामिल करने से पहले प्रदान

किया जाएगा। निविदाकार अनुबंध अवधि के दौरान नौकरी के लिए नियोजित प्रत्येक सुरक्षा गार्ड के पुलिस सत्यापन का समय पर नवीनीकरण भी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, किसी भी सुरक्षा गार्ड में परिवर्तन की स्थिति में, नियोजित किए जाने वाले नए श्रम के सभी पूर्ववृत्तों और पुलिस सत्यापन से संबंधित दस्तावेजों के साथ बैंक को अग्रिम रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

17. **अनुबंध श्रमिकों का आचरण:** निविदाकर्ता अपने कर्मचारियों/सुरक्षा गार्डों के आचरण और अच्छे व्यवहार की जिम्मेदारी लेंगे और यदि किसी भी कर्मचारी/सुरक्षा गार्ड के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो निविदाकर्ता बैंक के परिसर से उसे तत्काल हटाने और बदलने की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा, निविदाकर्ता किसी भी ठेका श्रमिक को सेवा से हटाते समय सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशानिर्देशों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करेंगे।
18. **प्रशिक्षण:** निविदाकर्ताओं को विभिन्न सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर तैनात गार्डों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए और किसी भी आपात स्थिति / चिकित्सा आपात स्थिति / प्राथमिक चिकित्सा / आपदा आदि के मामले में पहले प्रतिवादी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों जैसे विषयों पर तैनात करना चाहिए।
19. **महिलाओं का यौन उत्पीड़न:** निविदाकर्ता/एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत निविदाकर्ताओं/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और निविदाकर्ता/एजेंसी शिकायतों के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ निविदाकर्ताओं के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। निविदाकर्ता किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसे निविदाकर्ताओं के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि निविदाकर्ताओं के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है। निविदाकर्ता अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

20. **पर्यवेक्षण और काम की गुणवत्ता:** निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा नियोजित सुरक्षा गार्ड अपना काम ईमानदारी से करें। निविदाकर्ताओं द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए परिसर के अंदर नियमित आधार पर औचक दौरा करेगा कि कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं।

21. **अतिरिक्त कार्य:** किसी भी अतिरिक्त कार्य के लिए किसी भी दावे की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि इसे बैंक की सहमति से निष्पादित नहीं किया गया हो। अधिकृत के रूप में ऐसा कोई भी अतिरिक्त कार्य निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

- i. मूल निविदा में शुद्ध दरें या कीमतें अतिरिक्त कार्य के मूल्यांकन का निर्धारण करेंगी जहां इस तरह के अतिरिक्त कार्य समान चरित्र के हैं और समान परिस्थितियों में निष्पादित किए गए हैं जैसे कि उसमें मूल्य का काम।
- ii. सभी मदों के लिए दरें, जहां भी संभव हो, मूल्य बोली (निविदा के भाग- II) में दी गई दरों से प्राप्त की जानी चाहिए।

22. **रिपोर्टिंग और समन्वय:** निविदाकर्ता, महीने में कम से कम एक बार और/या जब भी बुलाया जाता है, व्यक्तिगत रूप से बेहतर समन्वय और/या प्रदर्शन की समीक्षा के लिए संबंधित कार्यालय का दौरा करेंगे।

23. **बैंक की संपत्ति:** यदि कोई खजाना, जीवाश्म, खनिज या कार्यों को पूरा करने के दौरान या उसके दौरान एंटीडिलुवियन हित के काम पाए जाते हैं, तो निविदाकार ऐसी किसी भी खोज की तत्काल सूचना देंगे और बैंक को ऐसी खोज करेंगे। निविदाकार इसे आरबीआई को सौंप देंगे और निविदाकार इसके लिए किसी भी अधिकार शीर्षक ब्याज का दावा नहीं करेंगे।

24. **असंतोषजनक सेवा:** यदि निविदाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं, तो एक लिखित नोटिस जारी किया जाएगा और आनुपातिक आधार पर राशि बिल से काट ली जाएगी।

25. **निविदाकर्ताओं को भुगतान:**

एएमसी बिलों का भुगतान फर्म से बिल प्राप्त होने पर **एनईएफटी के माध्यम से** मासिक आधार पर किया जाएगा। भुगतान संतोषजनक सेवा के अधीन वास्तविक/आनुपातिक आधार पर किया जाएगा। देय राशि इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार सेवाओं में कमी के लिए किसी भी वसूली के लिए शुद्ध होगी। बिल

जीएसटी प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भुगतान के लिए बिल के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले फर्म द्वारा विधिवत प्रमाणित किसी विशेष महीने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति:

- i. उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति।
- ii. सहायक कार्यवाहक/कार्यवाहक/सहायक प्रबंधक/सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कार्य की रिपोर्ट
- iii. न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को दर्शाने वाला बैंक स्टेटमेंट **(श्रमिकों/कामगारों को भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा)**.
- iv. ठेका श्रम अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुपालन के लिए घोषणा।
- v. पीएफ/ईएसआई के लिए किए गए भुगतान को इंगित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य, यदि लागू हो।
- vi. बैंक द्वारा निदेशित कोई अन्य लॉगबुक/दस्तावेज।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि निविदाकर्ता पहले मजदूरों/श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करेंगे और फिर श्रमिकों को मजदूरी के प्रेषण के प्रमाण के साथ इसकी प्रतिपूर्ति के लिए विधेयक प्रस्तुत करेंगे। किसी भी परिस्थिति में निविदाकर्ताओं को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

26. **दरें:** अनुबंध की मुद्रा के दौरान दरें बढ़ रहेंगी और निविदाकर्ता अनुबंध अवधि के दौरान सहमत शुल्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि की मांग नहीं करेंगे।

27. **वृद्धि खंड:** वैधानिक शुल्क आनुपातिक रूप से अलग-अलग होंगे, जब भी श्रम आयुक्त/सांविधिक प्राधिकरण द्वारा न्यूनतम मजदूरी/जीएसटी/किसी अन्य वैधानिक शुल्क, करों आदि को संशोधित किया जाता है, तो ऐसी संशोधित दरें दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगी।

28. **निविदाकर्ताओं द्वारा ठेका श्रमिकों को भुगतान:**

- i. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वे ठेका श्रमिकों सहित सभी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान केवल बैंक खाते के माध्यम से सुनिश्चित करें।

- ii. एक प्रमुख नियोक्ता होने के नाते, बैंक बैंक के विवेक पर इस शर्त का अनुपालन करने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निविदाकर्ता को बुलाने के लिए स्वतंत्र होगा।
- iii. निविदाकर्ताओं द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वेतन पर्चियों की फोटोकॉपी और प्रत्येक सुरक्षा गार्ड द्वारा हस्ताक्षरित काउंटर बैंक को प्रस्तुत किया जाना है।
- iv. निविदाकर्ताओं को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य वैधानिक दायित्वों (यानी कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि) के प्रावधानों का पालन करना होगा और बैंक को उसी के संबंध में भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। (इसमें कर्मचारी भविष्य निधि, ईएसआईसी प्रीमियम और मजदूरी के भुगतान के संबंध में बैंक खाते का विवरण शामिल होना चाहिए)।
- v. यदि सुरक्षा गार्ड को राष्ट्रीय छुट्टियों पर तैनात किया जाता है तो निविदाकर्ताओं द्वारा उचित रूप से मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए शुल्क/व्यय निविदाकर्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा। इस संबंध में बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। मूल्य बोली प्रस्तुत करने के दौरान इसके लिए शुल्क/व्यय का हिसाब लगाया जा सकता है।

29. **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार भुगतान के अनुपालन का प्रमाण पत्र और ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 अधिनियम के अनुसार सुविधाओं का प्रावधान:** इसके भुगतान को जारी करने से पहले निविदाकर्ता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने वास्तव में सभी प्रकार के सभी श्रमिकों के सभी बकाया का भुगतान कर दिया है, जो कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत निर्धारित दर से कम नहीं है और उसने ठेका **श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (सीएलआरए अधिनियम)** के प्रावधानों का अनुपालन किया है। इस तरह के प्रमाण पत्र की सत्यता को सहायक प्रबंधक/प्रबंधक द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जा सकता है और निविदाकर्ताओं द्वारा मजदूरी के वास्तविक संवितरण को सत्यापित करने के लिए विधिवत अधिकृत किया जा सकता है।

30. **जीएसटी देयता:** जीएसटी को छोड़कर सभी वैधानिक कटौतियों को स्रोत पर काटा जाएगा। निविदाकर्ता के पास जीएसटी पंजीकरण संख्या होनी चाहिए और विभिन्न मदों के लिए अपनी दरों का उल्लेख करते समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जीएसटी सहित अपनी दरों को उद्धृत करना चाहिए और इस संबंध में किसी भी स्तर पर बैंक द्वारा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदाकर्ताओं के लिए भुगतान के दावों को प्रस्तुत करते समय कर देयता के अपने हिस्से के विवरण का खुलासा करना

अनिवार्य है, यानी कर योग्य मूल्य और लागू करें को जीएसटी परिषद द्वारा जारी निर्धारित बिल प्रारूप/अनुसूची में वस्तुओं और सेवाओं की समग्र या आपूर्ति के लिए जैसा कि मामलों में लागू होता है। बैंक निविदाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए जीएसटी के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं है। कर प्राधिकरण को जीएसटी का भुगतान करना निविदाकर्ताओं की जिम्मेदारी है।

31. **बैंक की संपत्ति को नुकसान का दायित्व:** निविदाकर्ताओं द्वारा बैंक की संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान को निविदाकर्ताओं द्वारा उसकी लागत पर ठीक करना होगा, जिसमें विफल रहने पर निविदाकर्ताओं को देय राशि से काट लिया जाएगा।
32. **परिसमापन हर्जाना** निम्नलिखित तरीके से लगाया जाएगा - दैनिक आधार पर अधिदेशित समय की अवधि के लिए सेवाओं की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं कराने के मामले में, बैंक प्रदान की गई सेवाओं की संख्या में कमी/निष्पादित कार्य और/या सेवा की अवधि (घंटों में) में कमी के संबंध में यथानुपात आधार पर हर्जाने की वसूली करेगा, जो अनुबंध मूल्य के अधिकतम 20% के अधीन है।
33. **अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार:** बैंक नियत तारीख से पहले किसी भी समय अनुबंध को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि प्रदान की गई सेवाएं एक महीने का नोटिस देकर संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और निविदाकर्ताओं के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में बैंक द्वारा किसी भी पत्राचार/मुआवजे के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
34. **क्षतिपूर्ति और नुकसान की देयता:** अनुबंध से सम्मानित फर्म फर्म द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा गतिविधि द्वारा परिसर या किसी भी व्यक्ति या किसी भी रहने वाले या निवासी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुए किसी भी नुकसान के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगी।
35. **अनुबंध कर्मचारियों के प्रति क्षतिपूर्ति और दायित्व:** निविदाकर्ता अपने कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान शामिल जोखिम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। बैंक निविदाकर्ताओं द्वारा तैनात गार्ड/श्रम के प्रति कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता है।
36. **निविदाकर्ताओं द्वारा अनुपालन न करने के खिलाफ वैधानिक अनुपालन और क्षतिपूर्ति के लिए उपक्रम:** कार्य सौंपने से पहले लागू मूल्य के एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इस आशय का वचन दिया जाना चाहिए कि यदि उसे विशेष नौकरी/कार्य प्रदान किया जाता है, तो वह वास्तव में उस विशेष कार्य/कार्य

को पूरा करने के लिए उसके द्वारा लगाए जाने वाले सभी विवरणों के सभी श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करता है, (ख) सरकार ने न्यूनतम **मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित दर से कम न होने और ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 (सीएलआरए अधिनियम) के अंतर्गत उपबंधित आवश्यक सुविधाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए** और साथ ही ऐसी मजदूरी का भुगतान करने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विफलता के लिए सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा प्रधान नियोक्ता के विरुद्ध शुरू की जाने वाली सभी कार्रवाइयों के लिए प्रधान नियोक्ता को क्षतिपूत प्रदान करने के लिए भी प्रतिपूत प्रदान की है।

37. **अन् य एजेंसियों के साथ सहयोग:** सफल निविदाकर्ता को अन् य कार्यों के लिए बैंक द्वारा लगाए गए निविदाकारों/(ओं) के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि कार्य बिना किसी देरी के और बैंक की संतुष्टि के लिए सुचारू रूप से आगे बढ़ सके।
38. **श्रम लाइसेंस/ठेका श्रम लाइसेंस:** ठेका श्रमिकों को तैनात करने के लिए आवश्यक अनुबंध लाइसेंस (प्रचलित **ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अनुसार**) केंद्रीय श्रम प्राधिकरणों से प्राप्त किया जाएगा।
39. **औद्योगिक विवाद अधिनियम, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, कामगार प्रतिकर अधिनियम और अन्य सांविधिक देनदारियों के प्रावधानों सहित श्रम कानूनों का वैधानिक अनुपालन:** निविदाकार अपने श्रमिकों पर लागू संपूर्ण वैधानिक शर्तों और श्रम कानूनों की आवश्यकताओं जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, पीएफ का भुगतान, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, कामगार मुआवजा अधिनियम, आदि और सभी सरकारी देनदारियों के उचित अवलोकन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।
40. **सुरक्षा उपाय:** सुरक्षा कोड के अनुसार सभी सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

वाणिज्यिक स्थितियों की चेकलिस्ट

क्रं क्रम संख्या।	विवरण या क्रिस्म	बैंक की शर्त बैंक की शर्तें	क्या निविदाकर्ता को स्वीकार्य है (हाँ अथवा नहीं) निविदाकर्ता को स्वीकार्य है या नहीं (हाँ या नहीं)
1.	बोली की वैधता	निविदा के भाग- 1 खोलने से तीन माह की अवधि तक	
2.	बयाना जमा राशि	₹ 90,600/- (रुपए नब्बे हजार छे सौ मात्र) एनईएफटी के रूप में	
3.	निष्पादन गारंटी	ईएमडी और सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा पूरी अनुबंध अवधि के लिए अनुबंध लागत का 5% बैंक गारंटी के रूप में (केवल सफल बोलीदाता के लिए)	
4.	दरें	मजदूरी का संशोधन भारत सरकार द्वारा संशोधित मूल न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार हर छह महीने में किया जाएगा। अनुबंध के पूरे कार्यकाल के दौरान उद्धृत लाभ / सेवा शुल्क में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।	
5.	दंड	खंड J – "अनुबंध के नियम और शर्तें" के क्लॉज़ 6 और 9 के अनुसार	
6.	ठेके की समाप्ति/निर्धारण	खंड J – "अनुबंध के नियम और शर्तें" के क्लॉज़ 2 और 34 के अनुसार	
7.	भुगतान की शर्तें	निर्धारित दस्तावेजों को जमा करने पर मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।	

8.	बीमा	खंड J – "अनुबंध के नियम और शर्तों" के क्लॉज़ 24 के अनुसार	
----	------	---	--

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और यदि कार्य मुझे/हमें सौंपा जाता है तो यह मुझे/हमारे लिए बाध्यकारी रहेगा।

मुहर के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

पता:

दिनांक:

भाग II (खंड I)
भाग I - तकनीकी बोली

ईटानगर में बैंक के परिसर में सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध

निविदाकर्ता का नाम: -----

पता -----

लैंडलाइन-----
--

मोबाइल नं. -----
-

ईमेल आईडी-----

वेबसाइट का पता यदि कोई -----

जमा करने की अंतिम तिथि और समय	अक्टूबर 27, 2026 से 14:00 बजे तक
बोली पूर्व बैठक	अक्टूबर 14, 2026, 11:00 बजे
निविदा की वैधता	निविदा के भाग-I के खुलने की तारीख से तीन महीने

भाग II (खंड II)
भाग II - मूल्य बोली

(यह केवल उदाहरण के लिए है, मूल्य बोली भाग 1 के साथ प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए। इसे सीपीपी पोर्टल में ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए)

निश्चित राशि:

S.No I	या क्रिस्म	वास्तविक	प्रति वर्ष कुल राशि
I	न्यूनतम मजदूरी "X" (केंद्र सरकार के क्षेत्र सी के लिए बुनियादी + वीडिए)	₹ 20,306	₹ 2,43,672
द्वितीय	ईपीएफ योगदान @ मजदूरी का 13%	₹ 2,640	₹ 31,680
तृतीय	ईडीएलआई योगदान @ अधिकतम ₹ 15,000 पर 0.5%	₹ 75	₹ 900
इन्ट्रावीनस	ईपीएफ प्रशासनिक शुल्क @ मजदूरी का 0.5%	₹ 75	₹ 900
बहुत	ईएसआईसी योगदान @ मजदूरी का 3.25%	₹ 660	₹ 7,920
VI	हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) @ "एक्स" का 8% या ₹1800 (जो भी अधिक हो)	₹ 1,800	₹ 21,600
सातवीं	एचआरए पर ईएसआई/चिकित्सा भत्ता @ एचआरए का 3.25%	₹ 59	₹ 708
आठवीं	बोनस @ 8.33% ('X' x 8.33%)	₹ 1,691	₹ 20,292
IX	यूनिफॉर्म आउटफिट अलाउंस @ "X" का 5%	₹ 1,015	₹ 12,180
X	यूनिफॉर्म वाशिंग अलाउंस @ "X" का 3%	₹ 609	₹ 7,308
ग्यारहवीं	कुल मजदूरी प्लस ईपीएफ और ईएसआई प्रति सुरक्षा गार्ड प्रति माह	₹ 28,930	₹ 3,47,160
बारहवीं	रिलीविंग चार्ज {सीरियल (xi)} के कुल का 1/6 वां हिस्सा	₹ 4,792	₹ 57,504
XIII	प्रति गार्ड प्रति माह कुल निश्चित लागत	₹ 33,722	₹ 4,04,664
बारहवीं	नहीं। सुरक्षा गार्डों की संख्या	8	8
XIII	8 गार्डों की प्रति माह कुल निश्चित लागत (राउंड ऑफ)	₹ 2,69,776	₹ 32,37,312

मूल्य बोली प्रारूप: (बोलीदाता द्वारा ऑनलाइन भरा जाना है)

बैंक द्वारा निश्चित राशि	₹ 32,37,312.00 (ए)
उद्धृत सेवा शुल्क प्रतिशत में % (सुरक्षा गार्डों की वर्दी और प्रशिक्षण की लागत, निविदाकारों का लाभ और ओवरहेड, कामगार मुआवजा नीति, निविदाकार सभी जोखिम नीति, श्रमिकों को बोनस भुगतान (यदि लागू हो), परिवहन, लोडिंग और अनलोडिंग, माल ढुलाई शुल्क, पारगमन बीमा और अन्य प्रशासनिक शुल्क और केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी कर, शुल्क या अन्य लेवी सहित, यदि वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के अलावा लागू हो)	(बी) 18.58 % (निश्चित राशि के प्रतिशत के रूप में उद्धृत किया जाना है, ए)
प्रति वर्ष कुल शुल्क (C= A + A का B%)	38,38,805.00
जीएसटी @ प्रति वर्ष कुल शुल्क पर 18%	6,90,984.00
प्रति वर्ष कुल अनुबंध मूल्य (ई = सी + डी)	45,29,790.00
कुल अनुबंध मूल्य को निकटतम मूल्य पर पूर्णांकित किया गया	45,30,000.00

- i. इच्छुक निविदाकारों को अपने सेवा प्रभार/लाभ (राहत / अवकाश आरक्षित शुल्क, वर्दी की लागत और सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण, निविदाकार के लाभ और ओवरहेड, कामगार मुआवजा नीति, निविदाकार सभी जोखिम नीति, श्रमिकों को बोनस भुगतान (यदि लागू हो), परिवहन, लोडिंग और अनलोडिंग, माल ढुलाई शुल्क, पारगमन बीमा और अन्य प्रशासनिक शुल्क और सभी कर, शुल्क या अन्य लेवी यदि लागू हो, तो वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के अलावा अन्य यदि लागू हो) को उद्धृत करना आवश्यक है। किसी भी अन्य प्रारूप में प्राप्त कोटेशन को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए:-

यदि विक्रेता निश्चित राशि पर सेवा शुल्क (जीएसटी को छोड़कर सभी लागतों सहित) के रूप में 20% उद्धृत करना चाहता है, तो वह सीपीपी पोर्टल पर मूल्य बोली के संबंधित क्षेत्र में केवल 20 उद्धृत करेगा।

- ii. ऑनलाइन उद्धृत दरों को जीएसटी से अलग किया जाना चाहिए। जीएसटी की गणना अनुबंध लागत पर पहुंचने के लिए कुल शुल्क पर अतिरिक्त की जाएगी और वास्तविक आधार पर लागू होने के रूप में भुगतान किया जाएगा। किसी भी कर (लागू जीएसटी के अलावा), शुल्क या लेवी चाहे मौजूदा या भविष्य और/या किसी अन्य शुल्क के संबंध में कोई अलग दावा बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- iii. बैंक द्वारा निश्चित राशि तक पहुंचने के लिए 30 मार्च, 2026 के आदेश F. No. 1/6(6) 2025-LS-II के अनुसार वॉच एंड वार्ड सेवाओं (बिना हथियारों के) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के हिस्साब से विचार किया गया है।

- iv. बैंक द्वारा इस निश्चित लागत में मजदूरी का भुगतान और भविष्य में कोई भी संशोधन (और तदनुसार, अनुबंध लागत में) निगरानी और वार्ड सेवाओं (बिना हथियारों के) के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी पर आधारित होगा।
- v. ऊपर बताए गए ईपीएफ, ईएसआईसी और ईडीएलआई योगदान और ईपीएफ प्रशासनिक शुल्क की दरें मौजूदा सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं और इसका उपयोग निश्चित राशि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सरकार द्वारा उपरोक्त दरों में से किसी में संशोधन/परिवर्तन की स्थिति में, निश्चित राशि और तदनुसार, अनुबंध लागत की पुनर्गणना की जाएगी और तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदा के भाग II की मात्रा और सामग्री की अनुसूची को पढ़ और समझ लिया है और उपरोक्त सभी शर्तों को भी पढ़ और समझ लिया है और यदि कार्य मुझे/हमें सौंपा जाता है तो यह मुझे/हमारे लिए बाध्यकारी रहेगा।

मुहर के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

पता:

दिनांक:

अनुलग्नक I

प्रस्ताव पत्र

स्थान: _____

दिनांक: _____

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
एपीएफसीएल बिल्डिंग, वन विहार
चिंपू
ईटानगर - 791113

सर

इसके बाद निर्धारित ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने के बाद और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल की जांच करने और निविदा को प्रभावित करने के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को संलग्न मूल्य बोली में उल्लिखित दरों पर उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर और समझौते के लेखों में निर्दिष्ट विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार, निविदा की सामान्य शर्तें, मात्रा की अनुसूची और ऐसी सेवाओं और सामग्रियों के साथ अनुबंध के नियम और शर्तें, जहां तक वे लागू हो सकती हैं, द्वारा और अन्य सभी मामलों में प्रदान की जाती हैं, के अनुसार निष्पादित करने की पेशकश करते हैं।

ज्ञापन

(क)	काम का विवरण	ईटानगर में कार्यालय परिसर के लिए सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध
(ख)	अनुमानित लागत	लगभग ₹ लाख (रुपये केवल)
(ग)	बयाना धन जमा (EMD)	₹..... (रुपये केवल) (कोई ब्याज नहीं देता है) (अनुमानित लागत का 2%)
(घ)	अनुबंध की वैधता	प्रारंभ में to_____, 2028 तक (संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाना है)।
(ङ)	प्रदर्शन की गारंटी	अनुबंध मूल्य का 5% (सफल एजेंसी द्वारा बैंक गारंटी के रूप में प्रदान किया जाना है)

2. हम ₹...../- (रुपये..... की राशि जमा करने का वचन देते हैं केवल) ई-निविदा दस्तावेज जमा करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बयाना राशि के रूप में, जिस राशि पर कोई ब्याज नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर अनुबंध को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं कि यह राशि एजेंसी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को जब्त कर ली जाएगी। हम निविदा की पूरी अवधि के दौरान प्रदर्शन गारंटी के लिए बैंक गारंटी को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।

3. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है।

4. यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम एतद्वारा निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं और इसके डिफ़ॉल्ट रूप से, भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसी रकम जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं जो अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।

5. मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाती है। भाग I में सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें, तकनीकी विवरण, ईएमडी शामिल हैं और भाग II में बैंक के प्रोफार्मा में केवल मूल्य बोली शामिल है।

7. यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम इसके द्वारा अनुबंध की उक्त शर्तों के नियमों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं या डिफ़ॉल्ट रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि को जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

8. हमारे बैंकर हैं (पूरा पता):

i)	
ii)	

9. हमारी फर्म के भागीदारों के नाम हैं:

i)	
ii)	

हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत फर्म के भागीदार
का नाम

या

अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ
अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति का नाम (पावर ऑफ
अटॉर्नी की प्रमाणित सच्ची प्रति संलग्न की जानी
चाहिए)

तुम्हारा ईमानदारी से,

निविदाकर्ताओं के हस्ताक्षर
गवाहों के हस्ताक्षर और पते:

	दस्तखत देखिए।	पता
(i)		
(ii)		

अनुलग्नक II

इसके बाद की शर्तें व्याख्या खंड को संदर्भित करती हैं

इन शर्तों, विनिर्देशों, मात्राओं की अनुसूची और अनुबंध समझौते को मानने में, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ यहां उन्हें सौंपे गए होंगे, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ अन्यथा आवश्यक हो।

(क)	"बैंक"	इसका अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा और इसमें इसके समनुदेशित और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
(ख)	"निविदाकर्ता" (साझेदारी के मामले में)	"निविदाकारों" का अर्थ ईटानगर में व्यवसाय के स्थान वाली सुरक्षा सेवाओं/मैन गार्डिंग सेवाएं प्रदान करने की नाम और शैली में फर्म से होगा और इसमें उक्त फर्म के कुछ समय के लिए भागीदार और मृत भागीदार के कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
	(व्यक्ति के मामले में)	"निविदाकारों" का अर्थ होगा श्री _____ सुरक्षा सेवाएं/मानव सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के नाम और शैली में व्यापार करना और इसमें उनके उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
	(कंपनी के मामले में)	"निविदाकर्ताओं" का अर्थ कंपनी से होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी भी पिछले कंपनी कानून के तहत निगमित कंपनी है और ईटानगर में अपनी पूर्ण सेवा सेटअप है और इसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेश शामिल होंगे।
(ग)	"साइट"	इसका अर्थ होगा अनुबंध कार्यों की साइट जिसमें सामान्य परिधीय क्षेत्र और किसी भी अन्य भूमि (समावेशी) शामिल है, जैसा कि बैंक द्वारा निविदाकर्ताओं के उपयोग के लिए आवंटित किया गया है।
(घ)	"यह अनुबंध"	इसका अर्थ होगा समझौते के लेख, विशेष शर्तें, शर्तें, परिशिष्ट, मात्रा और विनिर्देशों की अनुसूची, आदि यहां संलग्न और विधिवत हस्ताक्षरित।
(ङ)	"निविदा"	ई-टेंडर के बाद https://etenders.gov.in/eprocure/app
(च)	"बैंक का अधिकारी/कार्यवाहक"	"बैंक के अधिकारी/कार्यवाहक" शब्द का अर्थ होगा वह व्यक्ति जिसे कार्यों का निरीक्षण करने के लिए बैंक द्वारा नियुक्त और भुगतान किया गया है। निविदाकार बैंक के अधिकारी/कार्यवाहक को कार्यों का निरीक्षण करने के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेंगे। न तो बैंक के अधिकारी/कार्यवाहक और न ही बैंक के किसी प्रतिनिधि के पास कार्यों को निर्धारित करने या अनुबंध की किसी भी आवश्यकता को रद्द करने, बदलने, बड़ा करने या शिथिल करने, या किसी भी दिन के काम, परिवर्धन, परिवर्तन, विचलन, या चूक, या किसी भी अतिरिक्त कार्य को मंजूरी देने की शक्ति होगी, सिवाय इसके कि इस तरह के प्राधिकरण को बैंक के अधिकारी के लिखित आदेश द्वारा विशेष रूप से बैंक की लिखित सहमति से प्रदान किया जा सकता है। बैंक के अधिकारी/कार्यवाहक या बैंक के किसी भी प्रतिनिधि को किसी भी कार्य या सामग्री के गैर-अनुमोदन के बारे में निविदाकर्ताओं या उसके प्रतिनिधि को नोटिस देने की शक्ति होगी

		और ऐसे कार्य को निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्री का उपयोग बंद कर दिया जाएगा।
(छ)	"लिखित रूप में सूचना"	लिखित नोटिस का अर्थ होगा लिखित, टाइप किए गए या मुद्रित वर्णों में एक नोटिस (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित नहीं किया गया हो या अन्यथा प्राप्त हुआ है) पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते पर प्राप्त किया गया है, जब पोस्ट के सामान्य पाठ्यक्रम में इसे वितरित किया गया होगा।
(ज)	"दिवालिया का अधिनियम"	इसका अर्थ होगा प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट या प्रांतीय दिवाला अधिनियम या ऐसे मूल में संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम द्वारा परिभाषित दिवालियापन का कोई अधिनियम।
(i)	"काम"	ईटानगर में कार्यालय परिसर में सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध का अर्थ होगा, जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।

अनुलग्नक III

समझौते के लेख

(बैंक करार की विषय-वस्तु को और संशोधित/संशोधित/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है)

यह _____ समझौता, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसका केंद्रीय कार्यालय फोर्ट, मुंबई में है, और ईटानगर में इसका एक कार्यालय है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्राधिकृत अधिकारी श्री अभिजीत मजूमदार, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), ईटानगर - 791113 (इसके बाद "बैंक" कहा जाता है) द्वारा किया गया है, जो एक तरफ और _____ (स्वामित्व / साझेदारी फर्म / कंपनी), कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित (कंपनी के मामले में) और _____ में इसका पंजीकृत कार्यालय है (इसके बाद "निविदाकर्ता" कहा जाता है) श्री जो दूसरे भाग पर अपने निदेशक मंडल द्वारा इस समझौते को दर्ज करने के लिए अधिकृत है।

और जबकि बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर में कार्यालय परिसर में सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए पात्र निविदाकर्ताओं से वार्षिक सेवा अनुबंध आमंत्रित किया था, कार्य के दायरे और निविदा के साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों में इंगित किया गया है।

और उक्तशर्तों पर यहां पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

और जबकि निविदाकार यहां निर्धारित शर्तों पर और उनके अधीन और निविदाकारों के लिए सामान्य निर्देशों और अनुबंध की विशेष शर्तों, अनुबंध के नियम और शर्तें, कार्य का दायरा और निविदा दस्तावेज में निर्धारित मात्राओं की अनुसूची (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तें" के रूप में संदर्भित किया गया है) के रूप में संबंधित दर पर मात्रा की उक्त अनुसूची में दिखाए गए कार्यों को उसमें प्राप्त राशि के रूप में निर्धारित किया गया है या ऐसी अन्य राशि जो उसके तहत देय हो जाएगी (इसके बाद "उक्त अनुबंध राशि" के रूप में संदर्भित)।

अब इस प्रकार सहमति प्रकट करते हैं :

1. यह समझौता _____ से लागू होगा और _____, 2028 तक लागू रहेगा और सालाना दो और वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, दोनों पक्षों की आपसी सहमति के अधीन, निविदाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई संतोषजनक सेवाएं, जब तक कि इसे इसके बाद निहित शर्तों के अनुसार समाप्त नहीं किया जाता है। अनुबंध का नवीनीकरण अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद, वार्षिक आधार पर, समान नियमों और शर्तों पर किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज में निहित नियम और शर्तें और जारी किए गए किसी भी स्पष्टीकरण (शुद्धिपत्र) को इस समझौते के हिस्से के रूप में माना जाएगा और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। साथ ही, वार्षिक नवीनीकरण के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधान के तहत मुख्य आयुक्त (केंद्र सरकार) द्वारा जारी अधिसूचना

के दौरान निगरानी और वार्ड (बिना हथियारों के) के लिए कर्मचारियों की तैनाती के लिए वृद्धि/वृद्धि दी जानी चाहिए।

2. _____ रुपये (केवल Rupees _____) के शुल्क में नियोजित गार्ड को जनशक्ति, प्रशिक्षण की आवश्यकता और समान वस्तुएं शामिल होंगी और बिल/चालान जमा करने के अधीन मासिक आधार पर देय होंगी। बैंक के अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किए जाने के बाद उस पर भुगतान किया जाएगा कि सांविधिक कटौतियों के अधीन सेवाएं संतोषजनक ढंग से प्रदान की गई हैं।
3. बैंक निविदाकर्ताओं को उक्त अनुबंध राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय पर और तरीके से देय हो जाएगी।
4. शुल्क दृढ़ हैं और श्रम शर्तों, विनिमय भिन्नता या किसी भी अन्य स्थिति के अधीन नहीं हैं।
5. उपरोक्त शुल्कों में जीएसटी, बीमा शुल्क और कोई अन्य कर और शुल्क या अन्य लेवी भी शामिल है, चाहे वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भविष्य में मौजूदा हो या लगाया गया हो।
6. निविदाकार कार्य के दायरे और अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार नियमित आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
7. उक्त शर्तों में "बैंक के प्रबंधक/प्रबंधक/प्रबंधक-प्रभारी" शब्द का अर्थ होगा कि सौंपा गया अधिकारी या उस प्रयोजन के लिए बैंक द्वारा नामित बैंक का कोई अन्य उत्तराधिकारी "बैंक के प्रबंधक/प्रबंधक/प्रबंधक-प्रभारी" के रूप में कार्य करेगा।
8. भारतीय रिज़र्व बैंक बैंक के कर्मचारियों के माध्यम से कार्यों के पर्यवेक्षण का प्रबंधन और व्यवस्था करेगा, जिसमें बिलों का प्रमाणन, भुगतान करना और अनुबंध के विभिन्न नियमों, शर्तों और शर्तों का कार्यान्वयन, कार्य का निष्पादन, कार्य की गुणवत्ता शामिल है।
9. उक्त शर्तों को इस समझौते के हिस्से के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा, और इसके पक्ष क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, खुद को प्रस्तुत करेंगे और उक्त शर्तों में क्रमशः अपनी ओर से समझौतों का पालन करेंगे।
10. यहां उल्लिखित योजनाएं, समझौते और दस्तावेज इस अनुबंध का आधार बनेंगे।
11. इस अनुबंध के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल ईटानगर में किए जाएंगे।

12. इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से संबंधित सभी विवादों को ईटानगर में उत्पन्न माना जाएगा और केवल ईटानगर के न्यायालयों के पास इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

13. कि इस अनुबंध के कई हिस्सों को निविदाकर्ताओं द्वारा पढ़ा गया है और निविदाकर्ताओं द्वारा पूरी तरह से समझा गया है। निविदाकार निविदा की गई मात्रा से अधिक मात्रा के भुगतान के हकदार नहीं होंगे जब तक कि बैंक के प्रबंधक से विशिष्ट लिखित निर्देशों द्वारा आदेश न दिया जाए।

14. गैर-प्रकटीकरण खंड: निविदाकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेंगे, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान निविदाकर्ताओं के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेंगे। निविदाकर्ता अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेंगे, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर। निविदाकार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या प्रकट नहीं करेंगे। निविदाकर्ता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेंगे। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को निविदाकर्ताओं की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। निविदाकार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में निविदाकर्ताओं के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।

15. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन।

क) निविदाकर्ता/निविदाकार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत निविदाकर्ताओं/निविदाकर्ताओं द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और निविदाकर्ता/निविदाकार शिकायतों के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

ख) बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ निविदाकर्ताओं के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

ग) निविदाकार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होंगे जिसे निविदाकर्ताओं के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि निविदाकर्ताओं के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है।

घ) निविदाकर्ता अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

इ) निविदाकर्ता अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेंगे जो बैंक के परिसर में तैनात हैं।

जिसके गवाह में बैंक और निविदाकर्ताओं ने इन उपहारों के लिए अपने-अपने हाथ सेट किए हैं और यहां दिन और वर्ष के दो डुप्लिकेट यहां पहले लिखे गए हैं।

यदि निविदाकर्ता एक साझेदारी या एक व्यक्ति है।

जिसके गवाह में बैंक ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन उपहारों के लिए अपने हाथ सेट किए हैं और निविदाकर्ताओं ने इसकी सामान्य मुहर को यहां चिपका दिया है और उक्त डुप्लिकेट / इन उपहारों और उक्त दो डुप्लिकेट को यहां निष्पादित किया गया है, दिन और वर्ष पहले यहां ऊपर लिखा गया है।

यदि निविदाकर्ता एक कंपनी है।

हस्ताक्षर खंड

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया
श्री

(नाम और पदनाम)

की उपस्थिति में

(1)

पता

(2)

पता

सत्यापित करना

द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया
की उपस्थिति में

(1)

पता

(2)

पता

सत्यापित करना

यदि पार्टी साझेदारी फर्म है या किसी
व्यक्ति पर सभी या सभी भागीदारों की
ओर से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

की सामान्य मुहर

इसके निदेशक मंडल द्वारा _____

को आयोजित बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसरण में
निम्नलिखित को चिपकाया गया था।

(1)

(2)

जिन निदेशकों ने इन उपहारों को उनके टोकन में निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं।

(1)

(2)

श्री _____ और विधिवत गठित वकील के हाथ से निविदाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया।

यदि निविदाकर्ता अपनी सामान्य मुहर के तहत हस्ताक्षर करते हैं, तो हस्ताक्षर खंड को एसोसिएशन के लेखों में सीलिंग खंड के साथ मिलान करना चाहिए।

यदि निविदाकर्ता पावर ऑफ अटॉर्नी के हाथ से हस्ताक्षर कर रहे हैं, चाहे वह कंपनी हो या व्यक्ति।

अनुलग्नक IV

इसी तरह के कार्यों की सूची (पिछला अनुभव)

पिछले 5 वर्षों के दौरान फर्म/एजेंसी द्वारा निष्पादित समान योग्यता कार्यों का विवरण

क्रम संख्या	कार्य का नाम और स्थान	कार्यों की प्रकृति और विशिष्टता	नाम, पता और टेलीफोन नंबर सम्मान का। (Gov./Semi Gov./Pvt.)। (तन)	नाम, पूरा पता और टेलीफोन नंबर उस अधिकारी का नाम जिसके अधीन कार्य किया गया था।	अनुबंध राशि	पूरा होने की अवधि		क्या कार्य अधूरा छोड़ दिया गया था या अनुबंध को दोनों ओर से समाप्त कर दिया गया था	कार्य पूरा होने में विलंब के कारण, यदि कोई हो, सहित कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी
						पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

नोट: यदि आवश्यक हो तो शीट संलग्न करें। किसी भी केंद्र में भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए पिछले अनुभव और काम का विवरण उपरोक्त प्रारूप में अलग से प्रदान किया जा सकता है

आवेदक के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

अनुलग्नक V

बोलीदाता का विवरण

(सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना है)

क्र.सं.	कंपनी/फर्म का विवरण	
1	फर्म का नाम और पूरा पता	
2	पूर्ण पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ई-मेल पता, वेबसाइट यूआरएल के साथ पंजीकृत कार्यालय	
3	कंपनी का प्रकार चाहे वह स्वामित्व, साझेदारी आदि हो।	
4	नाम तथा पता का द कंपनी के प्रोपराइटर/पार्टनर/डायरेक्टर	
5	पंजीकरण (फर्म, कंपनी आदि) /पंजीकरण प्राधिकरण, तिथि, संख्या आदि।	
6	इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर (PAN)	
7	माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन)	
8	भविष्य निधि पंजीकरण संख्या	
9	ईएसआईसी पंजीकरण संख्या	
10	क्या ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम 1970 की धारा 12 (1) के तहत लाइसेंस रखने वाला निविदाकर्ता अनुबंध श्रम अधिनियम 1971 की धारा 21 के साथ पठित है। यदि हां, तो लाइसेंस संख्या का विवरण प्रस्तुत करें। आदि और एक प्रति संलग्न करें	
11	आईएसओ -9001 प्रमाण पत्र की तिथि और इसकी वैधता अवधि यदि लागू हो।	
12	का नाम और पते और पदनाम वह व्यक्ति जो बैंक के साथ कार्य करते समय एजेंसी का प्रतिनिधित्व करेगा (प्राधिकार पत्र संलग्न करें)	
13	अन्य संगठनों के समान सेवाएं देने का अनुभव	_____ वर्षों

14	पिछले 3 वर्षों के लिए अन्य संगठन को प्रदान की गई सेवाओं का कुल मूल्य।	2023-24	₹
		2024-25	₹
		2025-26	₹
15	चाहे आर्थिक रूप से मजबूत हो सेवाएं शुरू करने के लिए (पिछले 3 वर्षों के लिए लेखापरीक्षित बैलेंस शीट प्रस्तुत करें)	2023-24	₹
		2024-25	₹
		2025-26	₹
16	इंगित करें कि क्या किसी मुकदमेबाजी में शामिल है		
17	निष्पादित किसी भी आदेश में लंबित कोई भी सिविल वाद, विवरण दें		

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता की मुहर के साथ हस्ताक्षर

अनुलग्नक VI

बयाना राशि जमा/बोली सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)

स्थान: _____

दिनांक: _____

सेवा मे,
महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
एपीएफसीएल बिल्डिंग, वन विहार
चिंपू, ईटानगर - 791113

प्रिय महोदय,

कार्यालय भवन आरबीआई ईटानगर में सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध।

रेफ: **एनआईटी**/Advt.No। तारीख

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शाहिद भगत सिंह रोड, मुंबई में है (जिसे बाद में "आरबीआई" कहा जाता है) ने उक्त निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर शीर्षक वाले कार्य (इसके बाद "उक्त निविदा" कहा जाता है) के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

यह निविदाओं के आमंत्रण की शर्तों में से एक है कि निविदाकर्ता ₹ की राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा (रुपये केवल) बयाना धन जमा (ईएमडी) के रूप में।

मैसर्स (निविदाकर्ता/बोलीदाता का नाम) _____, (इसके बाद "निविदाकर्ता/बोलीदाता" कहा जाता है), जो हमारे ग्राहक/घटक हैं, उक्त कार्य के लिए अपनी निविदा/बोली प्रस्तुत करने का इरादा रखते हैं और हमसे ईएमडी के संबंध में ₹ _____ (केवल रुपये) की उक्त राशि के संबंध में आरबीआई को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

अब यह गारंटी गवाह है

1. We _____ (बैंक का नाम) एतद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से सहमत हैं और वचन देते हैं, उनके उत्तराधिकारी, यह निर्दिष्ट करते हैं कि आरबीआई के इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में कि निविदाकर्ता ने निविदा की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है

या उसका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त निविदाकर्ता पर भी बाध्यकारी होगा; हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांग किए जाने पर, आरबीआई को ₹ _____ (केवल रुपये) की राशि या आरबीआई द्वारा मांगी जा सकने वाली किसी भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त शर्तों के तहत निविदाकर्ता के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए बयाना राशि जमा के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता ₹ _____ (केवल रुपये) की राशि से अधिक नहीं होगी।

2. हम यह वचन देने और पुष्टि करने के लिए भी सहमत हैं कि पूर्वोक्त रूप से ₹ _____ (केवल रुपये) से अधिक की राशि का भुगतान हमारे द्वारा बिना किसी विरोध या विरोध के किया जाएगा, केवल लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त होने पर कि राशि उनके लिए देय है और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई से नोटिस निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी संबंध या तरीके से पूछताछ नहीं की जाएगी। हम पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने पर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और निविदाकर्ता के बीच समझौते या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा। यह गारंटी आरबीआई की लिखित सहमति के बिना हमारे द्वारा रद्द नहीं की जाएगी। हम इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि –

क) उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त निविदा में निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में या इसके तहत या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदाकर्ता को किसी भी समय प्रदान करने या उसके संबंध में किसी अन्य मामले को दिखाने में भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से कोई भी सहनशीलता या कमीशन हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा। यह गारंटी केवल निविदाकर्ताओं द्वारा उनके दायित्वों के प्रदर्शन द्वारा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा ₹ _____ (केवल रुपये) से अधिक की राशि का भुगतान करके किया जाएगा।

बी) इन उपहारों के तहत हमारी देयता ₹ _____ (केवल रुपये) की राशि से अधिक नहीं होगी।

ग) इस समझौते के तहत हमारा दायित्व उक्त कार्य के लिए निविदा देने में हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता से प्रभावित नहीं होगा या हमारे उक्त घटकों के संविधान में विघटन या परिवर्तन के तहत या उसके दायित्वों से प्रभावित नहीं होगा।

घ) यह गारंटी (निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि से छह महीने) तक लागू रहेगी बशर्ते कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसा चाहा जाता है, तो इस गारंटी को एक और अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा जैसा कि उनके द्वारा यहां निहित नियमों और शर्तों पर दर्शाया जा सकता है।

ई) इन उपहारों के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन उपहारों को ऊपर दिए गए अनुसार उस दिन या उस दिन नवीनीकृत नहीं किया जाता है जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके लिए अकेले आरबीआई द्वारा लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र निर्णायक प्रमाण है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक हमारे खिलाफ कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई किसी विस्तारित अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती है, तब तक इस गारंटी के तहत हमारे

खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें यहां के तहत हमारे सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त और मुक्त कर दिया जाएगा।

तुम्हारा ईमानदारी से,

बैंक के लिए और _____ ओर से।

अधिकृत अधिकारी (मुहर के साथ)

(एनबी: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टॉप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे)।

अनुलग्नक VII

निविदाकर्ताओं के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र

ग्राहक का नाम और पता:

श्री / मैसर्स -..... द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

1	संक्षिप्त विवरण के साथ कार्य का नाम	
2	समझौता संख्या। और तारीख	
3	समझौते की राशि	
4	कार्य प्रारंभ होने की तिथि	
5	पूरा होने की निर्धारित तिथि	
6	पूरा होने की वास्तविक तिथि	
7	विलंब के लिए लगाए गए मुआवजे का विवरण (राशि इंगित करें), यदि कोई हो	
8	पूर्ण और भुगतान किए गए कार्य की सकल राशि**	
9	उस प्राधिकरण का नाम और पता जिसके तहत कार्य निष्पादित किया गया है	
10	i) काम की गुणवत्ता (ग्रेडिंग का संकेत)	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा / अच्छा/संतोषजनक/खराब
	ii) कम दरों पर भुगतान किए गए कार्य की राशि, यदि कोई हो।	
11	i) क्या निविदाकार मध्यस्थता के लिए गए थे?	
	ii) यदि हाँ, तो दावे की कुल राशि	
	iii) प्रदान की गई कुल राशि	

12	निविदाकर्ताओं की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ	
	क) तकनीकी प्रवीणता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा / अच्छा/संतोषजनक/खराब
	ब) वित्तीय सुदृढ़ता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा / अच्छा/संतोषजनक/खराब
	ग) पर्याप्त टी एंड पी जुटाना	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा / अच्छा/संतोषजनक/खराब
	द) जनशक्ति जुटाना	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा / अच्छा/संतोषजनक/खराब
	ई) सामान्य व्यवहार	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा / अच्छा/संतोषजनक/खराब

सील के साथ ग्राहक के हस्ताक्षर

नोट:

- १) सभी कॉलम को ठीक से प्रतिहस्ताक्षरित में भरा जाना चाहिए।
- २) ग्राहक प्रमाण पत्र प्रत्येक पूर्व-योग्यता कार्य के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए
- ३) सरकारी / अर्ध-सरकारी, संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के मामले में कार्यकारी अभियंता के रैंक के अधिकारी या समकक्ष के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित।
- ४) निविदाकर्ताओं द्वारा उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए प्राप्त भुगतान के पर्याप्त प्रमाण द्वारा समर्थित।
- ५) निजी संगठन द्वारा जारी ग्राहक की रिपोर्ट के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र भी शामिल होंगे
- ६) सभी कॉलम ठीक से प्रतिहस्ताक्षरित में भरे जाने चाहिए। ग्राहक प्रमाण पत्र अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर के साथ ग्राहक के लेटर हेड पर होना चाहिए।

अनुलग्नक VIII
बैंकों का विवरण

हमारे बैंकों का विवरण इस प्रकार है:

	बैंकर 1	बैंकर 2
बैंकर का नाम		
शाखा का नाम और उसका पूरा डाक पता		
नाम और नौकरी - संपर्क व्यक्ति का शीर्षक उसके टेलीफोन नंबर के साथ। (ओं) और फैक्स नंबर (ओं) आदि।		
खाते का प्रकार और खाता संख्या।		
चाहे मानना सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया गया है। निविदाकार।		
द अवधि से उन निविदाकार बैंकिंग कर रहे हैं बैंकर के साथ		
कोई अन्य जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहेंगे इसके बैंकों के बारे में:		

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम
के साथ)

अनुलग्नक IX

अनुसूचित बैंक से बैंकरों के प्रमाण पत्र का रूप

1. फर्म की संरचना (चाहे पार्टनरशिप/प्राइवेट लिमिटेड/प्रोपराइटरशिप/पब्लिक लिमिटेड।
2. फर्म के प्रोपराइटर/पार्टनर/निदेशकों का नाम।
3. पिछले 3 वित्तीय वर्षों (वर्षवार) के लिए फर्म का टर्नओवर।

i) 2023-24 -

ii) 2024-25 -

iii) 2025-26 -

4. फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा।
5. व्यवहार
6. वह अवधि जिससे फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है।
7. कोई अन्य टिप्पणी।

आप कृपया अपनी राय भी भेज सकते हैं कि क्या उपरोक्त फर्म को ₹ ₹ की अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए अनुबंध सौंपने के लिए वित्तीय रूप से मजबूत माना जाता है..... लाखों।

(हस्ताक्षर)

बैंक के लिए

नोट:

- बैंकरों के प्रमाण पत्र बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए, जो महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर को संबोधित होना चाहिए।
- साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में बैंक के साथ दर्ज सभी भागीदारों के नाम शामिल होने चाहिए
-

अनुलग्नक X

बायो-डेटा फॉर्म

(निविदाकर्ताओं के लेटर हेड में प्रस्तुत किया जाना है)

नाम	
पिता का नाम	
जन्म की तारीख	
लिंग	
शैक्षणिक योग्यता	
वर्तमान पता	
स्थायी पता	
मोबाइल नं.	
आधार नं.	
पैन नं.	
बैंक खाते का विवरण	खाता संख्या- आईएफएससी कोड-
पीएफ (यूएन) नहीं।	
ईएसआईसी (आईपी) संख्या	
भूतपूर्व सैनिक	(जी हां/नहीं)
शरीर के पैरामीटर	ऊँचाई-, वजन- आंखों की दृष्टि- (बाएं) (दाएं).....
नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	

उपरोक्त विवरण मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं और उपयुक्त दस्तावेजों के साथ समर्थित हैं।

आधिकारिक मुहर के साथ हस्ताक्षर-

अधिकारी का नाम-

उपाधि-

स्थान-

तारीख-

इस बायो-डेटा फॉर्म के साथ आधार कार्ड या किसी अन्य उपयुक्त फोटो आईडी कार्ड की फोटोकॉपी जमा करना अनिवार्य है।

अनुलग्नक XI

निविदा के भाग-1 के साथ सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	जमा किया गया (हां/नहीं/लागू नहीं*) *कृपया गैर-प्रयोज्यता के लिए वैध कारण प्रदान करें
1.	बैंक द्वारा जारी निविदा दस्तावेज - विधिवत भरा हुआ, मुहर लगी और हस्ताक्षरित (सभी अनुलग्नक, पूर्व-बोली बैठक के कार्यवृत्त और शुद्धिपत्र, यदि कोई हो)	
2.	निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार	
3.	₹ 90,600/- की ईएमडी राशि भेजने के साक्ष्य के रूप में एनईएफटी रसीद की प्रति	
4.	PSARA लाइसेंस की प्रति	
5.	व्यवसाय शुरू करने के लिए निगमन प्रमाण पत्र और ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख / साझेदारी विलेख / पंजीकरण के अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्र	
6.	निविदाकर्ता का विवरण (अनुलग्नक-II के तहत निर्धारित प्रारूप में) सभी निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों/भागीदारों/व्यक्तियों/व्यक्तियों के विवरण के साथ	
7.	पैन कार्ड और अन्य संबंधित आयकर दस्तावेजों की प्रति	
8.	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति	
9.	एमएसएमईडी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, यदि कोई हो	
10.	ईपीएफ पंजीकरण की प्रति	

11.	ईएसआईसी पंजीकरण की प्रति	
12.	ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम 1970 की धारा 12 (1) के तहत लाइसेंस की प्रति अनुबंध श्रम अधिनियम 1971 की धारा 21 के साथ पठित	
13.	इसी तरह के कार्यों को करने में 5 वर्ष से अधिक के अनुभव के समर्थन में कार्य आदेश और पूर्णता प्रमाण पत्र	
14.	ग्राहकों के संपर्क विवरण के साथ पिछले 5 वर्षों में पूरे किए गए इसी तरह के अर्हक कार्यों का विवरण (अनुलग्नक-I के तहत निर्धारित प्रारूप में)	
15.	पिछले 5 वर्षों में पूरे किए गए सभी समान योग्यता कार्यों के लिए कार्य आदेश	
16.	ग्राहक के लेटरहेड में विभिन्न ग्राहकों से ग्राहक के प्रमाण पत्र (अनुलग्नक V के तहत निर्धारित प्रारूप में) और पिछले 5 वर्षों में पूरे किए गए सभी समान योग्यता कार्यों के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित	
17.	निजी संगठनों द्वारा जारी किए गए सभी ग्राहक प्रमाणपत्रों के लिए भुगतान के प्रमाण के रूप में टीडीएस प्रमाणपत्रों की प्रति	
18.	पिछले 5 वर्षों में पूरे किए गए सभी समान योग्यता कार्यों के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र	
19.	किसी भी केंद्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए कार्य करने के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के लिए कार्य आदेश	
20.	पिछले 3 वर्षों के लिए लेखापरीक्षित अंतिम खातों की प्रतियां और चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र जो पिछले 3 वर्षों के कारोबार को दर्शाता है	
21.	पिछले 3 वर्षों के लिए आयकर निकासी प्रमाण पत्र/आयकर निर्धारण आदेश/आयकर रिटर्न की प्रतियां	
22.	बैंकों के संपर्क विवरण के साथ बैंक खातों का विवरण (अनुलग्नक VI के तहत निर्धारित प्रारूप में)	

23.	बैंक के लेटर हेड में बैंकर का प्रमाण पत्र और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित	
24.	कोहिमा में गार्डों और पूर्ण सेवा सेटअप/बैंक ऑफिस/प्रशासनिक कार्यालय के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्व-स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान/स्थापना/तंत्र के समर्थन में वैध दस्तावेज	
25.	कोहिमा में इस व्यवसाय को करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी/वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने का उपक्रम	
26.	किसी भी आधार पर किसी भी संगठन द्वारा न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया गया या निलंबित/काली सूची में नहीं डाला गया	
27.	लंबित सभी सिविल मुकदमों का विवरण, यदि कोई हो।	
28.	वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में विचलन, यदि कोई हो, की सूची	
29.	तकनीकी विशिष्टताओं में विचलन की सूची, यदि कोई हो,	
30.	अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़, यदि कोई हो एक. दो. तीन. चार. पाँच.	

स्थान:

दिनांक:

मुहर के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर